रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1987/ज्येष्ठ 4, 1909
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1987/JYAISTHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

नई दिल्ली, 21 मई, 1987

सामान्य विनियमावली, 1964

सं.यू. टी. /एन. डी./ 28636 :—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 43 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय—1

परिचय

1. संक्षिप्त नाम—इन विनियमों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964 कहा जा सकेगा।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52);

1(कक) * * * *

(ककक) "पात्र न्यास" से अभिप्रेत है—

1. हटाया गया—देखिए न्यासी बोर्ड की 4 मई, 1981 को आयोजित बैठक का अनुमोदन।

(1) कोई ऐसा न्यास, जो तत्समय किसी राज्य में प्रभावी विधि द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अनुसरण में सर्जित हो, अथवा

(2) कोई ऐसा न्यास, जिसकी सम्पत्ति पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 6) के अधीन किसी कोषपाल में निहित है, अथवा

(3) कोई ऐसा धार्मिक अथवा पूर्त न्यास, जो तत्समय धार्मिक अथवा पूर्त न्यासों के संबंध में प्रभावी किसी विधि द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अधीन प्रबंधित अथवा नियंत्रित अथवा पर्यवेक्षित हो, अथवा

(4) कोई अन्य न्यास, अप्रतिसंहरणीय न्यास होते हुए, जो लोक अथवा उसके किसी वर्ग के लाभ अथवा प्रयोग हेतु किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्तियों के विन्यास के प्रयोजन हेतु अथवा उसके संबंध में सर्जित हो, अथवा

(5) कोई ऐसा न्यास, जो ऐसी वसीयत द्वारा सर्जित है, जो वैध है तथा प्रभावी हो गई है, अथवा

(6) कोई अन्य न्यास, अप्रतिसंहरणीय न्यास होते हुए, जो लिखित रूप से लिखित द्वारा सर्जित किया गया है।

1(ककक) * * * * *

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ग) "यूनिट ट्रस्ट" से अभिप्रेत है भारतीय यूनिट ट्रस्ट;

(घ) "न्यासी" से अभिप्रेत है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का न्यासी;

(घ) "यूनिट स्कीम, 1964" से अभिप्रेत है वह स्कीम जो, 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी हुई है,

(ङ) अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, अधिनियम में उन्हें यथास्थिति नियत किये गये अर्थ रखेंगी।

अध्याय--2

3. अंशदानों की स्वीकृति--(1) बोर्ड धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रस्थापित अंशदानों को या तो पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर सकेगा, जो प्रस्थापितकर्ता अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की संख्या तथा उनके द्वारा प्रस्थापित रकमों पर निर्भर करेगा।

(2) बोर्ड का विनिश्चय, इस बारे में कि अंशदान की कोई विशिष्ट प्रस्थापना पूर्णतः अथवा भागतः स्वीकार की जायेगी अथवा नहीं स्वीकार की जायेगी, अंतिम होगा।

(3) बोर्ड की एक समिति, जिसमें अध्यक्ष, और अन्य दो न्यासियों (जिनमें से एक कार्यपालक न्यासी होगा यदि एक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है) का समावेश होगा, गठित की जायेगी, जो स्थापि अंशदानों को स्वीकार करेगी, इस प्रकार गठित की गई समिति अभिदान स्वीकार करने के मामले में बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

4. अभिदाय प्रमाणपत्र का अंकित मूल्य--प्रत्येक अभिदाय प्रमाणपत्र का अंकित मूल्य पचास हजार रुपये होगा।

5. अभिदात्री संस्थाओं का रजिस्टर--धारा 5 के अधीन रखे जाने वाले अभिदात्री संस्थाओं के रजिस्टर में यूनिट ट्रस्ट उक्त धारा में उल्लिखित ब्यौरों के अतिरिक्त निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करेगा।

(क) अभिदात्री संस्था का पता।

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) का खंड, जिसके अधीन अभिदात्री संस्था इस प्रकार पंजीकृत होने के लिये अर्ह है;

(ग) वह तरीका, जिसमें अभिदात्री संस्था इस प्रकार हुई, और धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में अंशदानों के मामले के सिवाय अंशदान प्रमाणपत्र के पूर्वधारक का नाम और उस अंतरिती का नाम, जिसे प्रमाणपत्र अंतरित किया गया है।

6. रजिस्टर का निरीक्षण--(1) विनियम 7 के अध्यधीन, अभिदात्री संस्थाओं का रजिस्टर अभिदात्री संस्थाओं के निःशुल्क निरीक्षण हेतु, यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में कारोबार के समय के दौरान खुला रहेगा, परन्तु ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन रहेंगे, जिन्हें यूनिट ट्रस्ट आरोपित करे तथापि कारोबार के प्रत्येक दिन दो घंटे से कम समय के लिये निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) यदि कोई अभिदात्री संस्था अभिदात्री संस्थाओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि हेतु आवेदन करती है, तो वह उसे प्रत्येक सौ शब्दों अथवा उसके भाग के लिये पचास पैसे की दर से संदाय करने पर प्रदान की जायेगी।

7. रजिस्टर बंद करना--बोर्ड अभिदात्री संस्थाओं का रजिस्टर विज्ञापन द्वारा नोटिस देने के बाद, ऐसी अवधियों (किसी वर्ष में कुल मिलाकर छः सप्ताहों से अधिक नहीं) के लिये बंद कर सकती है, जो इसकी राय के अनुसार आवश्यक हो।

8. अभिदाय प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से धारित नहीं--अभिदाय प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से धारित नहीं होगा।

9. अभिदाय प्रमाणपत्र का निर्गम--प्रत्येक अभिदाय प्रमाणपत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट के साधारण मुद्रांक के अधीन निर्गमित किया जायेगा और इसमें क्रम संख्या और विशिष्ट संख्या का उल्लेख होगा, तथा अंकित मूल्य विनिर्दिष्ट होगा।

10. अभिदाय प्रमाणपत्र का नवीकरण--(1) यदि कोई फटा-पुराना अथवा विरूपित अभिदाय प्रमाणपत्र नवीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो यूनिट ट्रस्ट उक्त अभिदाय प्रमाणपत्र के निरसन का आदेश दे सकता है और उसके बदले एक प्रमाणपत्र निर्गमित कर सकता है।

(2) यदि अभिदाय प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने का अभिकथन किया जाता है, तो बोर्ड--

(क) अभिदाय प्रमाणपत्र के खोने या नष्ट होने के संबंध में संतोषजनक सामग्री जो सके वाली ऐसी साक्ष्य पेश करने;

(ख) अपेक्षित प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति की ऐसी क्षतिपूर्ति पेश करने; और

(ग) विज्ञापन और खाने या नष्ट होने की साक्ष्य के अन्वेक्षण तथा पूर्वोक्तानुसार क्षतिपूर्ति के अपेक्षित फार्म की निर्मिति से संबंधित सभी आनुषंगिक व्यय के संदाय पर, उसके बदले में नया प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा;

(3) इस विनियम के अधीन जारी किये जाने वाले प्रत्येक नये प्रमाणपत्र के लिये यूनिट ट्रस्ट को पांच रुपये की राशि संदत्त की जायेगी।

11. अभिदाय प्रमाणपत्र का अंतरण--(1) अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अभिदाय प्रमाणपत्र का प्रत्येक अंतरण निम्नलिखित रूप में लिखित रूप में होगा।

हम----------के----------रु.----------
----------(शब्दों में)----------द्वारा (इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" अभिप्रेत) हमें संदत्त के प्रतिफलस्वरूप एतद्द्वारा अंतरिती को भारतीय यूनिट ट्रस्ट में अभिदाय प्रमाणपत्र सं. ----------
अंतरिती, और उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को अधिनियम द्वारा और उसके अन्तर्गत अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, जिन पर हम उसके निष्पादन के समय धारित करते हैं, अंतरित करते हैं, और हम, अंतरिती एतद्द्वारा उक्त अभिदाय प्रमाणपत्र लेने के लिये, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, सहमत होते हैं और हम, अंतरिती, यूनिट ट्रस्ट के रजिस्टर में, उक्त अभिदाय प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के लिये पंजीकृत किये जायें।

साक्षी के रूप में तारीख----------को हस्ताक्षर किये गये।

अंतरिती-- नाम----------
पता----------

साक्षी-- नाम----------
पता----------
उपजीविका----------

अंतरिती-- नाम----------
पता----------

साक्षी-- नाम----------
पता----------
उपजीविका----------

(2) अभिदाय प्रमाणपत्र के अंतरण की लिखत, अंतरक और अन्तरिती या उनकी ओर से ऐसा करने के लिये सम्यक् रूप से

प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की जायेगी तथा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी और अंतरक को ऐसे अभिदाय प्रमाणपत्र का तब तक धारक समझा जायेगा जब तक कि अंतरिती का नाम रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं हो जाता है।

12. अंतरण-विलेख की मान्यता—(1) अंतरण की विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन के साथ दो रुपये की फीस, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी, तथा विलेख से संबंधित अभिदाय प्रमाणपत्र साथ होंगे।

(2) अभिदायी संस्था के रूप में अंतरिती को रजिस्टर में दर्ज करने के लिये अनुरोध के साथ अंतरण-विलेख की बोर्ड द्वारा प्राप्ति पर, बोर्ड अभिदायी संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले अंतरिती की अर्हताओं के संबंध में ऐसी जांच करेगा, जो अपनी तुष्टि के लिये वह आवश्यक समझेगा।

13. अभिदाय की गयी राशि पर यूनिट ट्रस्ट का धारणाधिकार—यूनिट ट्रस्ट अभिदायी संस्था और इस प्रकार की अभिदायी संस्था के रूप में पंजीकृत संस्था द्वारा अभिदत्त सभी रकमों पर उक्त अभिदायी संस्था के ऋणों और देयताओं के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्रथम धारणाधिकार रखेगा, चाहे संदाय या उनके निर्वहन का समय वास्तविक रूप में आ गया हो अथवा नहीं।

14. अभिदायी संस्था का रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हता-प्राप्त न रहना—(1) रजिस्ट्रीकृत अभिदायी संस्था का यह कर्तव्य होगा कि वह उसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत रहने के लिये अर्हित न रहने पर इसकी सूचना बोर्ड को तत्काल दे दे।

(2) बोर्ड, किसी भी समय, यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जा सकने वाली ऐसी जांच के लिए कहेगा कि क्या अभिदायी संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था उसी तरह अर्हित नहीं रही है और ऐसी तुष्टि के बाद कि कोई ऐसी अभिदायी संस्था अर्हित नहीं रही है तो वह अभिदायी संस्था को सूचित करेगा। उक्त संस्था उसके बाद अपने द्वारा धारित अभिदाय प्रमाणपत्र के अंतरण के प्रयोजन से भिन्न रजिस्ट्रीकृत अभिदायी संस्था के अधिकारों में से किसी भी अधिकार के प्रयोग के लिए हकदार नहीं रहेगी तथा बोर्ड अभिदायी संस्थाओं के रजिस्टर में तदर्थक प्रविष्टि करेगा।

(3) यदि बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि यूनिट ट्रस्ट की पूंजी में अभिदान करने के लिए अर्हता न रखने वाली कोई संस्था असावधानता से या अन्यथा अभिदायी संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुई है तो वह ऐसी संस्था को सूचित करेगा कि वह अपने द्वारा धारित अभिदान प्रमाणपत्र (पत्रों) के अन्तरण के प्रयोजन को छोड़कर अभिदायी संस्था के अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगी और बोर्ड अभिदायी संस्थाओं के रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।

(4) बोर्ड का निर्णय, कि क्या कोई संस्था अभिदायी संस्था होने या न होने के लिए अर्हताप्राप्त है, निर्णायक होगा।

अध्याय-3

ट्रस्टियों का निर्वाचन

15. ट्रस्टियों के निर्वाचन की पद्धति : धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिदायी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले दो ट्रस्टियों का निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

16. अभिदायी संस्थाओं की सूची : (1) धारा 10 के खंड (ङ) में उल्लिखित ट्रस्टियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिदायी संस्थाओं की एक अलग सूची तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची में अभिदायी संस्था के नाम, उनके रजिस्ट्री कृत पते, उनके द्वारा धारित अभिदान प्रमाणपत्रों के नंबर तथा सुभेदक नंबर, अभिदान प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत करने वालियों तथा मतों की संख्या, जिसके लिए उनमें से प्रत्येक हकदार है, जो उसके द्वारा धारित अभिदान प्रमाणपत्रों की संख्या के बराबर होगी, आदि अंतर्विष्ट होंगे तथा ऐसी सूचियों की प्रतियां, विनियम 17 के अधीन नोटिस जारी करने के समय, यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर उपलब्ध होंगी।

17. नामांकन मांगने के लिए नोटिस : अध्यक्ष, धारा 4 की उप धारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिदायी संस्था को भेजी जाने वाली नोटिस उनसे यह अपेक्षा करते हुए भिजवाएंगे कि वह उम्मीदवारों, यदि कोई हों, जिन्हें ट्रस्टों के रूप में निर्वाचन के लिए ऐसी संस्था नामित करेगी, से संबंधित नामांकनपत्र इस तरह भेजे कि नोटिस की तारीख से इक्कीस दिनों की समाप्ति के पहले उनके पास पहुंच जायें।

18. ट्रस्टीशिप के लिए उम्मीदवारों का नामांकन : (1) बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार तब तक विधिमान्यतः नामित नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी न हों :

(क) वह ट्रस्टी बनने के लिए धारा 12 के अधीन, नामांकनों की प्राप्ति के लिए अंतिम दिन को निरर्हित नहीं है;

(ख) वह धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिदायी संस्था द्वारा नामित है;

(ग) नामांकन या तो लिखित रूप में और नामांकन करने वाली संस्था के सम्यक रूप से नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा उक्त संस्था के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया है, तथा दूसरे मामले में ऐसी संस्था के सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाती है (ऐसी प्रति नामांकन समझी जाती है); तथा

(घ) नामांकन पत्र, जिस पर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दि पीस, एश्युरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार (या विकास बैंक के उप महा प्रबंधक या प्रबंधक) या रिजर्व बैंक के कार्यालय का प्रबंधक या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का एजेंट या सरकारी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा कि उसे नामांकन स्वीकार है और निर्वाचन के लिए खड़े रहने के लिए वह रजामंद है और यह कि वह धारा 12 के अधीन निर्वाचन के लिए अनर्हित नहीं है।

(2) नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि विनियम 17 के अधीन नोटिस में उल्लिखित इक्कीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले वह यूनिट ट्रस्ट के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

(3) नामांकन, नामांकन करने वाली अभिदायी संस्था के सिवाय वापस नहीं लिया जा सकेगा और उसे वापस लेना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि नामांकन वापस लेने के संबंध में अभिदायी संस्था द्वारा लिखित नोटिस, नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं की जाती है।

19. ट्रस्टियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूचियों का प्रकाशन : (1) अध्यक्ष, नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से पन्द्रह[1] दिनों की समाप्ति से पहले नामांकन पत्रों की संवीक्षा करेंगे। अध्यक्ष अपने द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी जांच, यदि

1 अन्तःस्थापित, देखें 3-2-1977 को बोर्ड बैठक का अनुमोदन

कोई हो तो, के बाद विनियम 18 के प्रावधानों के संबंध में अपनी तुष्टि करेंगे तथा ऐसे उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार या अस्वीकार करेंगे और अस्वीकार के मामले में उसके लिए संक्षिप्त रूप में कारण दर्ज करेंगे। नामांकन की विधि मान्यता या अविधिमान्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय विनियम 26 के अधीन किसी संदर्भ के परिणाम के अध्यधीन तथा अन्तिम होगा।

(2) यदि विधिमान्य नामांकनों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक नहीं है तो नामित उम्मीदवार या उम्मीदवारों को निर्वाचित समझा जाएगा और उसका या उनके नाम तथा पते निर्वाचित के रूप में शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे। ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों को इस तरह के प्रकाशन की तारीख को निर्वाचित समझा जायेगा।

(3) यदि विधिमान्य नामांकनों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक है तो अध्यक्ष शासकीय राजपत्र तथा भारत में परिचालित कम से कम तीन समाचारपत्रों में विधिमान्यतः नामित उम्मीदवारों के नाम व पते प्रकाशित करवाएंगे तथा उस पर विनियम 20 से 25 लागू होंगे।

20. अभिदात्री संस्थाओं को भेजे जाने वाले नामांकनों और मत पत्रों की सूची : अध्यक्ष, विनियम 16 में निर्दिष्ट सूची में समाविष्ट प्रत्येक अभिदात्री संस्था को, सम्यक रूप से नामित उम्मीदवारों के नामों को दर्शाते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप में एक मत पत्र रसीदी रजिस्ट्री डाक से अथवा प्राप्ति-स्वीकृति पर व्यक्तिगत सुपुर्दगी द्वारा भिजवाएंगे

21. प्रत्येक अभिदात्री संस्था हर उम्मीदवार के नाम के सामने उसके लिए मतों की संख्या, यदि कोई हो तो, लिखेगी तथा मत पत्र पर उल्लिखित रीति से सम्यक रूप से प्राधिकृत अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी द्वारा मत पत्र पर हस्ताक्षर करायेगी, ऐसा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दि पीस, एश्युरेन्स के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार (या विकास बैंक के उप महाप्रबंधक या प्रबंधक)[1] या रिजर्व बैंक के कार्यालय के प्रबंधक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय के एजेंट या सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपनी प्राधिकारिक मुहर के अधीन अनुप्रमाणित करते हुए होगा। अभिदात्री संस्था प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में अपने कुल मतों का प्रयोग कर सकेगी, जितने मतों के लिए वह हकदार है; वह उसे अपने सभी मत या उसका कोई हिस्सा दे सकेगी या नहीं दे सकेगी। एक उम्मीदवार के संबंध में प्रयोक्तव्य मत दूसरे के संबंध में प्रयोक्तव्य नहीं होंगे।

22. मत पत्र वापस लौटाने की रीति : मतपत्र रसीदी रजिस्ट्री डाक से या प्राप्ति-स्वीकृति पर व्यक्तिगत सुपुर्दगी द्वारा यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में वापस लौटाया जाएगा ताकि वह पत्र पर निर्दिष्ट तारीख से पहले पहुंच जाये। उक्त तारीख के बाद प्राप्त कोई भी मत पत्र अस्वीकृत किया जायगा।

23. मतों की गणना की रीति : (1) मत पत्रों को वापस लौटाने की अंतिम तिथि के बाद अध्यक्ष तीन अन्य ट्रस्टियों की उपस्थिति में मत पत्रों की परीक्षा करेंगे। वे प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये मतों की संख्या जोड़ेंगे तथा उच्चतम मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों या जहां केवल एक ही ट्रस्टी का निर्वाचन करना है वहां उच्चतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेंगे।

(2) निर्वाचित घोषित उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे तथा ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों को इस तरह के प्रकाशन की तारीख को निर्वाचित समझा जाएगा।

24. मतपत्र का निपटारा : अध्यक्ष तथा ट्रस्टियों द्वारा समीक्षा के बाद मत पत्रों को एक कवर में मोहरबंद किया जायेगा तथा अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखा जाएगा अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा की तारीख से दस दिनों के बाद या संदेह अथवा विवाद के तय होने के बाद (विनियम 26 के अधीन यदि प्रशासन प्राप्त होता है तो) मत पत्रों को नष्ट करवाएंगे।

25. अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग : इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग, या तो कार्यपालक ट्रस्टी या अध्यक्ष द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किये जाने वाले अन्य ट्रस्टी द्वारा भी किया जा सकेगा।

26. निर्वाचन विवाद : (1) यदि निर्वाचित समझी गयी या घोषित की गयी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता अथवा अन्यथा ट्रस्टी के निर्वाचन की विधिमान्यता के संबंध में कोई संदेह अथवा विवाद उठेगा तो कोई भी हितबद्ध उम्मीदवार अथवा ऐसे निर्वाचन में मतदान के लिए हकदार अभिदात्री संस्था ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के सात दिनों के अन्दर बाद के अध्यक्ष को उसका लिखित रूप में प्रशासन दे सकेगी तथा उक्त प्रशासन में निर्वाचन की विधिमान्यता के संबंध में संदेह या विवाद के आधारों के विवरण दिये जायेंगे।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रशासन की प्राप्ति पर अध्यक्ष ऐसे संदेह या विवाद को तत्काल समिति, जिसमें अध्यक्ष और धारा 10 के खंड (ख), (ग) और (घ) के अधीन नामित ट्रस्टियों में से कोई भी दो ट्रस्टी शामिल हैं, के निर्णय के लिए तत्काल निर्देशित करेंगे।

(3) इस उद्देश्य से नियुक्त समिति अपने द्वारा आवश्यक समझा जा सकने वाली जांच करेगी और यदि वह यह निष्कर्ष निकालती है कि उक्त निर्वाचन विधिमान्य निर्वाचन नहीं था तो ऐसा निर्वाचन अपास्त करेगी।

(4) इस विनियम के अनुसरण में समिति का निर्णय, आबद्धकर और निश्चायक होगा।

27. बोर्ड की बैठकें (1) बोर्ड की बैठकें बोर्ड के अध्यक्ष या इस निमित्त कार्य करने में उनकी असमर्थता की स्थिति में कार्यपालक ट्रस्टी, और उनके न होने पर इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी भी ट्रस्टी द्वारा आयोजित की जाएंगी और वे सामान्यतया यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में आयोजित होंगी परंतु यदि बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए तो भारत में किसी भी दूसरे स्थान पर आयोजित की जा सकेंगी।

(2) कोई भी तीन ट्रस्टी कारबार संबंधी मामले, जो अपनी अध्यपेक्षा में निर्दिष्ट करेंगे, के प्रयोजनार्थ बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष से अपेक्षा कर सकेंगे और ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर अध्यक्ष पर्याप्त नोटिस देकर बोर्ड की बैठक आयोजित करेंगे परंतु इस प्रकार आयोजित की जाने वाली बैठक की तारीख अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के बाद की नहीं होगी।

(3) सामान्यतया बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए पूरे पंद्रह दिन की नोटिस दिया जाएगा तथा ऐसा नोटिस प्रत्येक ट्रस्टी को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि आपातकालीन बैठक आयोजित करना आवश्यक पाया जाएगा तो प्रत्येक ट्रस्टी, जो उस समय भारत में है, को पर्याप्त नोटिस दी जाएगी ताकि वह बैठक में उपस्थित रह सके।

(4) बैठक जिस कामकाज के लिए आयोजित की गयी है उससे भिन्न किसी कामकाज पर, बैठक के अध्यक्ष की सम्मति तथा उपस्थित ट्रस्टियों के बहुमत के बिना और जब तक कि अध्यक्ष को लिखित रूप में उसकी एक पूर्ण सप्ताह की नोटिस नहीं दी जाती, तब तक बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।

(5) चार ट्रस्टी, जिसमें से एक अध्यक्ष या कार्यपालक ट्रस्टी या उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकृत ट्रस्टी होगा, गणपूर्ति करेंगे।

(6) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के यथाशीघ्र बाद ट्रस्टियों को जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी तथा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों पर उसी या अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा

---

1 अंतःस्थापित, देखें 3-2-1977 की बोर्ड बैठक का अनुमोदन

28. कार्यपालक समिति की बैठकें (i) कार्यपालक समिति की बैठक यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, आयोजित की जा सकेगी। समिति के संदस्यों को पर्याप्त नोटिस दी जाएगी ताकि वे बैठक में उपस्थित रह सकें।

(ii) समिति के दो सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

(iii) अधिनियम के प्रावधान, और इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यपालक समिति की बैठकों में लागू होंगे, जैसे कि वे बोड की बैठकें हों ।

(iv) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के यथाशीघ्र बाद सदस्यों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी तथा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों पर उसी या अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और बोर्ड को यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जाएंगे।

29. अन्य समितियों की संरचना (i) यूनिट ट्रस्ट की कार्यपालक समिति से भिन्न किसी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसकी सदस्य संख्या के एक-तिहाई (एक-तिहाई में अंतर्विष्ट किसी भाग को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य, इन में से जो भी उच्चतर हो, होगी।

(ii) समिति के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसने धारा 34 के अधीन पहले घोषणा नहीं की है, अपने कर्तव्यों का ग्रहण करने से पहले अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्रारूप के अनुसार विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा ।

*30. ट्रस्टियों तथा समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक (i) अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अध्यधीन,

(क) ट्रस्टी प्रत्येक बोर्ड बैठक, जिसमें वह उपस्थित रहता है, के लिए 250/- रुपये की फीस प्राप्त करेगा; तथा

(ख) समिति का सदस्य प्रत्येक समिति बैठक, जिसमें वह उपस्थित रहता है, के लिए 250/- रुपये की राशि प्राप्त करेगा ।

(ii) प्रत्येक ट्रस्टी तथा समिति के प्रत्येक सदस्य को उसके स्वयं के वास्तविक व्यय, यदि कोई हो तो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा प्रत्येक दिन ("दिन" का अर्थ है चौबीस घंटे की अवधि या उसका कोई भाग) के लिए 250/- रुपये का विराम भत्ता दिया जाएगा दिन की गणना ट्रस्टी या सदस्य के अपने मुख्यालय से प्रस्थान के समय से या यदि यात्रा अन्य स्थान से की जाती है तो उस स्थान से प्रस्थान के समय से की जाएगी।

परंतु यदि ट्रस्ट बैठक के दिन या दिनों के लिए होटल में आवास की व्यवस्था करता है तो ट्रस्टी या समिति का सदस्य उस अवधि के लिए अपने आनुषंगिक व्यय को पूरा करने हेतु प्रति दिन 150/- रुपये विराम भत्ता आहरित करेगा ।

(iii) ट्रस्टी या समिति के सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार, विकास बैंक या रिजर्व बैंक का अधिकारी है, को उसके सेवा नियमों के अनुसार यात्रा और विराम भत्ते दिये जाएंगे ।

31. बिना बैठक के विधिमान्य संकल्प लिखित रूप में, बोर्ड के ट्रस्टियों के बहुमत द्वारा या जहां मामला कार्यपालक समिति से या बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति से संबंधित है वहां ऐसी समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प, बोर्ड, कार्यपालक समिति या अन्य समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारित संकल्प समझा जाएगा तथा अंतिम हस्ताक्षरकर्ता उस पर जिस तारीख को हस्ताक्षर करता है उस तारीख को उसे पारित किया हुआ समझा जाएगा :

परंतु पूर्वोक्त अनुसार पारित कोई प्रस्ताव बोर्ड, कार्यपालक या अन्य समिति, जैसा भी मामला हो, की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

1. परंतु यह और कि यदि कोई विसम्मत ट्रस्टी या सदस्य लिखित रूप में यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकार पारित कोई संकल्प बोर्ड, कार्यपालक या अन्य समिति, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्प को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बैठक में संकल्प पारित नहीं किया जाता है ।

1. अन्तः स्थापित, देखें 3-2-1977 की बोर्ड बैठक का अनुमोदन।

अध्याय IV

यूनिट ट्रस्ट की ओर से मतदान के अधिकार का प्रयोग

32. यूनिट ट्रस्ट की ओर से मतदान के अधिकार का प्रयोग (i) यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संबंधित और यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्रयोक्तव्य मतदान अधिकार यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिये जा सकने वाले निदेशों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट की ओर से प्रयुक्त किये जाएंगे ।

(ii) ऐसे निदेश देते समय यूनिट ट्रस्ट यूनिटधारकों का सर्वाधित हित देखेगा ।

33. मतदान के अधिकारों का प्रयोग न किया जा सकना पूर्वगामी विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड या कार्यपालक समिति, जैसा भी मामला हो, यह निदेश दे सकेगी कि मतदान के अधिकारों का पूरा अथवा कोई भाग प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

34. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान अधिकारों का प्रयोग किया जाना संबंधित संस्था के विनियमों के अध्यधीन यूनिट ट्रस्ट की ओर से मतदान अधिकारों का प्रयोग बोर्ड या कार्यपालक समिति के संकल्प द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा ।

35. "मतदान अधिकार" शब्द का प्रयोग इस अध्याय में प्रयुक्त "मतदान अधिकार" शब्द में केवल बैठक में या अन्यथा मत देने का अधिकार ही नहीं बल्कि व्यवस्था की किसी योजना को या किसी संकल्प को या यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संलग्न किन्हीं अधिकारों में कोई परिवर्तन या उनके परित्याग को सम्मति या अनुमोदन देने का अधिकार और साथ ही बैठक की अध्यपेक्षा या किसी संकल्प की नोटिस देने या किसी विवरण के परिचालन का अधिकार के अलावा कोई अन्य अधिकार जो प्रतिभूतियों से संलग्न होगा या उन्हें धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जा सकेगा, शामिल होंगे ।

अध्याय—IV

न्यास की नोटिसें

35क. (1) यूनिट ट्रस्ट द्वारा पात्र न्यास के सिवाय किसी अन्य न्यास की नोटिस प्राप्त नहीं होंगी।

(2) यूनिट ट्रस्ट यूनिटों में किसी पात्र न्यास के ब्याज की नोटिस प्राप्त कर सकता है अथवा किसी व्यक्ति को, जो कम्पनी या निगम के नाते भारत में बैंकिंग जो कारोबार कर रहा हो अथवा इस प्रकार किसी कम्पनी या निगम की सहायक कम्पनी अथवा व्यक्ति की, जो प्रत्येक मामले में उक्त पात्र न्यास की ओर से आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यूनिटों के सम्बन्ध में पात्र न्यास की ओर से व्यवहार करने तथा निपटान करने के लिए यहां इसके पश्चात दी गई शर्तों के अध्यधीन प्राधिकृत कर सकता है, अर्थात:—

(क) पात्र न्यास की ओर से आवेदन पात्र न्यास को यूनिट जारी करने का आधार होगा और यूनिट ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह यूनिटों में निवेश सक्षम है अथवा उस न्यास के हित में है:

(ख) पात्र न्यास द्वारा यूनिटों में निवेश सम्बन्धी प्रत्येक आवेदन रू० 10,000/— से कम राशि वाले अंकित मूल्य के लिए नहीं किया जाएगा;

(3) किसी पात्र न्यास को यूनिटें जारी करने के पूर्व अथवा उसके पश्चात किसी भी समय, यूनिट ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह, अगर उसकी राय में आवश्यक और महत्वपूर्ण है, तो ऐसे दस्तावेज पेश करने लिए कह सकता है, जिनसे पात्र न्यास द्वारा यूनिटों की बिक्री पुनर्खरीद या यथास्थिति, अंतरण के लिए किए गए आवेदन पर कार्रवाई करने की सुविधा हो।

(4) यूनिटों के लिए यूनिट प्रमाणपत्र, जिसके लिए पात्र न्यास द्वारा आवेदन किया गया है, उस पात्र न्यास के नाम पर जारी किये जाएंगे।

(5) जहां यूनिट ट्रस्ट द्वारा किसी पात्र न्यास को यूनिटों अथवा उनके खरीद मूल्य अथवा अन्यथा किसी प्रकार की धनराशि देय हो, तो इस प्रकार की राशि किसी विलेख द्वारा की जाएगी, जो पात्र न्यास के पक्ष में आहरित तथा रेखित और केवल आदाता खाते के रूप में हैं चिन्हित होगा।

*अध्याय—IV-ख

यूनिटधारकों द्वारा नामांकन

35कख (1) एकमात्र यूनिटधारक या दो अथवा अधिक यूनिटधारकों द्वारा संयुक्त रूप में किये गये नामांकन इस अध्याय में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में तथा उस परिमाण तक यूनिट ट्रस्ट द्वारा मान्यताप्राप्त होंगे।

(2) एकमात्र यूनिटधारक या संयुक्त रूप में दो यूनिटधारक अथवा एकमात्र उत्तरजीवी यूनिटधारक या दो उत्तरजीवी यूनिटधारक जो–

(i) पदधारक के रूप में यूनिटें धारण करने; या

(ii) ट्रस्ट के लिए कार्य करने; या

(iii) यूनिटों में फायदाप्रद हित के साथ किसी अन्य व्यक्ति के लिए

कोई अन्य हैसियत में कार्य करने वाली व्यक्ति या (यों) है (हैं) वे एक या अधिक व्यक्तियों अवयस्क सहित चार से अनधिक, का नामांकन कर सकता (ते) है (हैं) जो उसकी या अपनी मृत्यु की स्थिति में यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा संदेय राशियों के लिए हकदार होगा (होंगे)।

परंतु जहां नामिती अवयस्क है, वहां यूनिटधारक नामांकन करते समय भी नामिती की आवश्यकता के दौरान यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में यूनिटों के संबंध में देय राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

स्पष्टीकरण :

नामांकन, केन्द्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, पद के आधार पर अभिहित कोई व्यक्ति या धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास के पक्ष में भी किया जा सकेगा।

(3) उप विनियम (2) के अधीन किया गया नामांकन तत्पश्चात् प्रतिस्थापित या रद्द किया जा सकेगा।

(4) नामांकन, नामांकन का प्रतिस्थापन या नामांकन का रद्दकरण विधिमान्य होने के लिए :

(क) उसमें प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिटें आती हों, और

(ख) उसे संबंधित प्रमाणपत्र के साथ ट्रस्ट को ऐसे प्ररूप में किया जाय जो ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित की जाए।

(5) विधिमान्य नामांकन, नामांकन का प्रतिस्थापन या नामांकन का रद्दकरण ट्रस्ट द्वारा उसे प्राप्त करने की तारीख को प्रभावी समझा जाएगा। ट्रस्ट की बहियों में पंजीकरण के बाद यूनिट प्रमाणपत्र पर ट्रस्ट द्वारा उचित पृष्ठांकन लिखा जाएगा।

परंतु ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व, नामांकन या नामांकन का प्रतिस्थापन या रद्दकरण उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा, जिस तारीख को यह ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किया गया हो और जब ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तो तदनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

(6) उप-विनियम (2) के अधीन किया गया नामांकन विद्यमान प्रमाणपत्र के बदले में नये प्रमाणपत्र जारी करने या ट्रस्ट के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में प्रमाणपत्र के अंतरण से प्रभावित नहीं होगा।

(7)(i) नामांकन, यूनिटधारक के जीवनकाल के दौरान एकमात्र नामिती की मृत्यु की तारीख से रद्द समझा जाएगा तथा प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(ii) जहां नामांकन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में है वहां यूनिटधारक (कों) की मृत्यु की स्थिति में केवल प्रथम नाम वाले नामिती को यूनिटों के संबंध में देय राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) जहां प्रथम नाम वाला नामिती यूनिट धारक से पूर्वमृत है और यूनिटधारक ने नामांकन रद्द नहीं किया है या नामांकन प्रतिस्थापित नहीं किया है वहां दूसरे क्रम के नामवाला नामिती मृत यूनिटधारक के यूनिटों के संबंध में देय राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा अन्य क्रमवाले नामितियों के संबंध में भी ऐसा ही होगा।

(8) यूनिटधारक द्वारा अंतरण अथवा ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद पर यूनिट प्रमाणपत्र की परिधि में आये यूनिटों के पूर्ण या कोई भाग, जो उक्त यूनिट प्रमाणपत्र से जहां तक संबंध रखता है, का नामांकन रद्द समझा जाएगा तथा ऐसे अंतरण या पुनर्खरीद की तिथि से प्रभावी नहीं रहेगा।

(9) जहां, यूनिटधारक की मृत्यु के समय, जिसने नामांकन किये हैं, नामांकन से संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र की परिधि में आये यूनिटों के पूर्ण या कोई भाग के संबंध में, नामांकन यथाविधि स्टांपित अंतरण प्रपत्र के पंजीकरण के लिए पड़ा है वहां कोई विद्यमान नामांकन के अधीन नामिती किसी अधिकार के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अंतरिती ट्रस्ट को लिखित रूप में यह सूचित नहीं कर देता कि वह यूनिटों को अपने नाम पर अंतरित नहीं करना चाहता है।

*35कग. जहां यूनिटधारक की मृत्यु के बाद नामांकन वैध तथा विद्यमान है वहां नामिती ऐसी मृत्यु के बाद और अपनी राय के अनुसार—

(क) एक यूनिट प्रमाणपत्र, जिसमें नामांकन से संबंधित सभी यूनिटें समाविष्ट हैं, अपने नाम जारी करने, या

(ख) ऐसे सभी यूनिटों की पुनर्खरीद कीमत, जो पुनर्खरीद की तारीख को प्रचलित यूनिटों की पुनर्खरीद कीमत के आधार पर परिकलित होगी, के लिए हकदार होगा।

परंतु जहां नामित व्यक्ति संबंधित यूनिट योजना के अधीन यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सका है अथवा जहां नामिती अवयस्क है वहां यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामिती या यूनिटों के संबंध में राशि प्राप्त करने के लिए यूनिटधारक द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो केवल पुनर्खरीद की तारीख को पुनर्खरीद कीमत के आधार पर परिकलित यूनिटों की पुनर्खरीद कीमत प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

*35कघ. अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा नामिती को देय राशि के संदाय अथवा ऐसे संदाय के बदले में नये यूनिट जारी करने के लिए ट्रस्ट को प्रथम नाम वाले यूनिटों के कारण अपने दायित्व का वैधता से निर्वहन करना होगा।

*35कङ. (1) विनियम 35कख से 35कघ में अंतर्विष्ट प्रावधान जहां तक हो सके पुनर्निवेश प्लान, 1966, जिसके लिए यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाते हैं, के अधीन आबंटित यूनिटों पर लागू होंगे। इस विनियम के प्रयोजन के लिए विनियम 35कख से 35कघ में वर्णित "यूनिट

प्रमाणपत्र" के सभी निर्देश जब तक कि संदर्भ में विरुद्ध न हो "पुनर्निवेश लेखा" के निर्देशों के रूप में लिये जाएंगे। प्रमाणपत्र के अधीन यूनिटों के संबंध में किया गया नामांकन, पुनर्निवेश अध्यादेश, 1966 के अंतर्गत आवंटित सभी यूनिटों, जो समय-समय पर यूनिटधारक के पुनर्निवेश खाते में जमा हैं, को लागू तथा विस्तारित होगा।

2. यूनिधारक की मृत्यु की स्थिति में नामिती—

(क) मृत यूनिटधारक द्वारा धारित सभी यूनिटों के संबंध में अपने नाम पर एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने, या

(ख) ऐसे यूनिटों की खरीद मूल्य, जो पुनर्खरीद की तारीख को यूनिटों की पुनर्खरीद कीमत के आधार पर परिकलित है, के लिए हकदार होगा।

अध्याय-IV-ग

एजेंट द्वारा नामांकन

35कङ. (1) यूनिटों की बिक्री सहित कोई कारबार की याचना करने या उपाप्त करने के लिए यूनिट ट्रस्ट द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त व्यक्ति (इसके पश्चात् "एजेंट" कहा जाएगा) एक व्यष्टि, जो अवयस्क नहीं है अथवा एक सामाजिक या धर्मादा संस्था को नामित कर सकता है, जो एजेंट की मृत्यु की स्थिति में एजेंट को संदेय कोई कमीशन या अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

(2) प्रत्येक नामांकन चाहे वह पहले किये गये या न किये गये नामांकन के स्थान पर है, यूनिट ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित प्ररूप में होगा तथा एजेंट को देय पूर्ण कमीशन या अन्य पारिश्रमिक से संबंधित होगा।

(3) इस विनियम के अंतर्गत किया गया नामांकन किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा। रद्दकरण ऐसे प्ररूप में होगा, जिसे यूनिट ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) प्रत्येक नामांकन या रद्दकरण एजेंट को देय पूर्ण कमीशन अथवा पारिश्रमिक से संबंधित होगा।

(5) * * * *

(6) नामांकन या रद्दकरण करने के यथाशीघ्र बाद एजेंट नामांकन या रद्दकरण का संपरिवर्त प्ररूप यूनिट ट्रस्ट के कार्यालय को भेजेगा और तत्पश्चात् यूनिट ट्रस्ट नामांकन या रद्दकरण अपनी बहियों में दर्ज करेगा और तदनुसार एजेंट को सूचित करेगा।

(7) नामांकन का नामांकन या रद्दकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह एजेंट की मृत्यु के पहले यहां उपबंधित अनुसार यूनिट ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो जाता है।

(8) जहां एजेंट के जीवन-काल के दौरान, नामिती, जो व्यष्टि है, मृत होता है अथवा सामाजिक या धर्मादा संस्था, जो विघटित होती है, तो नामांकन रद्द समझा जाएगा तथा मृत्यु अथवा विघटन की तारीख जैसा भी मामला हो, से प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(9) जहां एजेंट की मृत्यु के बाद नामांकन वैध तथा विद्यमान है, वहां नामिती ऐसी मृत्यु के बाद एजेंट को देय कमीशन या अन्य पारिश्रमिक की पूरी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा और यूनिट ट्रस्ट के लिए कोई ऐसा संदाय उक्त कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के संबंध में अपने दायित्व का वैध निर्वहन होगा।

अध्याय V

सामान्य

36.(1)(क) यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनी योजनाओं में से किसी योजना के अंतर्गत जुटायी गयी निधियों से किसी निगम की प्रतिभूतियों में विनिधान, जब तक कि संबंधित योजना में अन्यथा उपबंधित न हो, उक्त निधियों की कुल राशि के पांच प्रतिशत या ऐसे निगम द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों और विद्यमान, इसमें से जो भी निम्नतर है, के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ख) कंपनियों के शेयरों आदि में विनिधान पर निर्बंधन नये निगमों द्वारा पुरोधृत प्रारंभिक पूंजी में ट्रस्ट द्वारा किये जाने वाले कुल विनिधान उक्त निधियों की कुल राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(1क) उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट सीमाएं निम्नलिखित विनिधानों को लागू नहीं होंगी, अर्थात्—

(i) निगम द्वारा निर्गमित तथा ऐसे निगम की कोई अचल या चल संपत्ति पर प्रथम या द्वितीय प्रभार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरों में विनिधान, परंतु अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र में दर्शाये अथवा निगम के लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किये अनुसार ऐसी चल या अचल संपत्ति का बही मूल्य डिबेंचरों के कुल अंकित मूल्य कम से कम डेढ़ गुना अथवा बोर्ड या कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला ऐसा निम्नतर मूल्य हो तथा जिस वित्तीय वर्ष में ट्रस्ट द्वारा डिबेंचरों में विनिधान किया जाता है उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए निगम ने उस दर से लाभांश घोषित किया गया हो जो निगम की समादत्त शेयर पूंजी के छः प्रतिशत से कम है।

(ii) बैंक गारंटी, सरकारी गारंटी या बोर्ड अथवा कार्यपालक समिति द्वारा अवधारित की जाने वाली ऐसी अन्य गारंटी द्वारा प्रतिभूत डिबेंचरों में विनिधान।

परंतु ट्रस्ट किसी भी समय पूर्वोक्त सीमाओं पर ध्यान दिये बिना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसे प्रत्याभित अधिकार शेयरों में विनिधान कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ होगा।

(क) "निगम" का अर्थ वही होगा जो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(7) के अधीन समनुदेशित किया है।

(ख) "बही मूल्य" का अर्थ है, ऐसे मामलों में जहां मूल्यह्रास के लिए समायोजन नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 की उप-धारा (2) के अनुसार परिकलित पूर्ण मूल्यह्रास की राशि घटाकर बहियों में दर्शाया गया मूल्य।

(ii) 36क. किसी योजना की निधियों से ट्रस्ट द्वारा किये जाने वाले विनिधान ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं होंगे तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों जो उक्त योजना में इस निमित्त विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की जाएंगी, के अध्यधीन होंगे।

37. ऐसी संस्थाएं, जिनके पास निक्षेप में धन रखा जा सकेगा (1) ट्रस्ट किसी निगम अथवा सहकारी समितियों से संबंधित विधि के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति को ऋण और अग्रिम (पूरक ऋण सहित) मंजूर कर सकता है, अथवा अग्रिम रकम जमा कर सकता है, विशेषकर ऐसी सहकारी समिति में जो किसी औद्योगिक कार्यकलाप या ऐसे ही किसी उद्देश्य में संलग्न है और ऐसी प्रतिभूति के आधार पर जो बोर्ड या कार्यपालक समिति निश्चित करे।

"परंतु यह कि किसी निगम अथवा सहकारी समिति को मंजूर किए गए ऋण अथवा उनमें जमा की गई अग्रिम राशियां विकास बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी समय न्यास की किसी योजना की निधियों का बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

(2) ट्रस्ट का धन अनुसूचित बैंकों या निम्नलिखित संस्थाओं के पास निक्षेपों में रखा जा सकेगा, अर्थात्—

(i) रिजर्व बैंक,

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित तथा जिसकी समादत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियां एक करोड़ रुपये से कम नहीं है ऐसी कंपनी परंतु यदि कंपनी निक्षेप की मूल राशि के प्रतिसंदाय तथा उस पर ब्याज के संदाय की गारंटी देते हुए अनुसूचित बैंक से अपर्त गारंटी प्रस्तुत करती है तो उक्त सीमा लागू नहीं होगी।

परंतु कंपनी में निक्षेपों की कुल राशि किसी भी समय ट्रस्ट की किसी योजना की निधियों के 20% से अधिक नहीं होगी।

(iii) तत्समय प्रवृत्त कोई कानून द्वारा स्थापित निगम।

(3) ट्रस्ट केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या कोई ऐसे विदेशी सरकार या विदेशी बैंक द्वारा चालू किये गये विशेष पत्र या प्रतिभूति में बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों के अधीन विनिधान कर सकता है।

परन्तु ऐसे विनिधान पर प्रत्यागम या तो सम होना चाहिये अथवा संबंधित काल के दौरान उसी प्रकार की प्रतिभूतियों में अपने विनिधानों में से ट्रस्ट द्वारा उपार्जित प्रत्यागम के सदृश होना चाहिये।

@@37क. अधिनियम की धारा 19ख के अनुसार दावों के प्रवर्तन के लिये ट्रस्ट द्वारा कोर्ट में किये जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होने चाहिये, अर्थात् :—

(क) कंपनी या निगम का नाम और पता

(ख) दी गयी वित्तीय सहायता का स्वरूप और राशि

(ग) प्रभारित ब्याज-दर

(घ) कंपनी अथवा निगम द्वारा प्रस्थापित प्रतिभूति का स्वरूप और परिमाण तथा प्रतिभूति के सृजन की तारीख (तारीखें)

(ङ) बंधक या प्रभार के अध्यधीन संपत्ति के विवरण

(च) प्रतिसंदाय तथा मोचन अवधि की शर्तें

(छ) दावे की कुल राशि

(ज) आवेदन के आधार

(झ) वाद-हेतुक का स्थान

(ञ) चाही गयी राहतें

(ट) आवेदन करने के लिये ट्रस्ट के प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम।

38. लेखे—बोर्ड यूनिट ट्रस्ट की आस्तियों और दायित्वों और प्राप्ति तथा व्यय का लेखा-जोखा रखवाएगा।

39. वार्षिक लेखा विवरण—यूनिट ट्रस्ट की लेखा-पुस्तकों और लेखों को हर वर्ष जून के तीसवें दिन संतुलित और बंद किया जायेगा।

परन्तु प्रथम समय के लिये लेखा-पुस्तकों तथा लेखों का संतुलन और संवरण यथा 30 जून 1965 को किया जायेगा।

39क. यूनिट ट्रस्ट के वार्षिक लेखे निम्नलिखित ढंग से तैयार किये जायेंगे तथा उपवर्णित होंगे :—

(i) इन विनियम 4 की अनुसूची "ख" के फार्म "1" (अथवा परिस्थितियों के अनुरूप उससे मिलते-जुलते) में हर वर्ष के अन्त में एक-तुलन-पत्र।

(ii) इन विनियम 1 की अनुसूची "ख" के फार्म "2" (अथवा परिस्थितियों के अनुरूप उससे मिलते-जुलते) में वर्णित वर्ष के लिये एक राजस्व लेखा।

40. अभिदात्री संस्थाओं के बीच आय का वितरण—(1) अभिदात्री संस्थाओं के बीच वितरणयोग्य आय का संदाय वार्षिक लेखा बंदी के यथाशीघ्र बाद किया जायेगा।

(2) अभिदात्री संस्थाओं को ऐसा वितरणयोग्य आय पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(3) अभिदात्री संस्थाओं के बीच वितरणयोग्य आय का संदाय ऐसे चैक अथवा अधिपत्र द्वारा किया जायेगा जो यूनिट ट्रस्ट के बैंकर के ऐसे स्थान पर, जहां उसका प्रधान कार्यालय स्थित है, आहरित होगा और जो अभिदात्री संस्था के आदेशानुसार संदेय होगा तथा अभिदात्री संस्था के पंजीकृत कार्यालय को भेजा जायेगा।

41. यूनिट ट्रस्ट द्वारा निष्पादित की जाने वाली और उस पर आबद्धकर संविदाओं की रीति और प्ररूप—(1) यूनिट ट्रस्ट की ओर से संविदायें निम्नलिखित के अनुसार की जा सकेंगी।

(i) कोई संविदा जो, यदि प्राइवेट व्यक्तियों के बीच की जाती है तो विधिनुसार आवश्यक होगा कि वह लिखित रूप में और उसमें भारित किये जाने वाले पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित हो, यूनिट ट्रस्ट की ओर से लिखित रूप में की जा सकेगी और जो अपने अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कार्य करते हुए ट्रस्ट के किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा जो फेरफार या उन्मोदित की जाने वाली रीति में होगी।

(ii) कोई संविदा जो, यदि प्राइवेट व्यक्तियों के बीच की जाती है तो वह विधिनुसार बैध होगी, यद्यपि केवल परोल द्वारा की गयी है और लेखबद्ध नहीं कर ली है, यूनिट ट्रस्ट की ओर से अपने अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार के अधीन कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा परोल से की जा सकेगी तथा जो फेरफार या उन्मोदित की जाने वाली रीति में होगी।

(2) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार की गयी सभी संविदायें विधिनुसार प्रभावी होंगी तथा यूनिट ट्रस्ट और उसकी सभी अन्य पार्टियों तथा उनके विधिक प्रतिनिधियों पर आबद्धकर होंगी।

42. यूनिट ट्रस्ट के लेखों, रसीदों तथा दस्तावेजों पर करना—अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी, यदि एक ही नियुक्त होता है, और यूनिट ट्रस्ट के ऐसे अधिकारी जिन्हें बोर्ड इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करेगा, उन्हें यूनिट ट्रस्ट के लिये तथा उसकी ओर से बचत-पत्र, स्टाक रसीदें, स्टाक डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूतियां तथा माल पर हक के दस्तावेज, जो यूनिट ट्रस्ट के नाम है या उसके द्वारा धारित हैं का बेचान करने और अंतरण करने, और यूनिट ट्रस्ट के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित अन्य लिखतों और विनिमय पत्रों का आहरण, सकार और बेचान करने तथा ऐसे कारोबार से संबंधित सभी अन्य लेखों, प्रमाणपत्रों, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

43. वादपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना—वादपत्र, लिखित विवरण, शपथपत्र, तथा कानूनी कार्यवाही से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों पर यूनिट ट्रस्ट की ओर से ऐसा अधिकारी हस्ताक्षर करेगा तथा उनका सत्यापन करेगा, जिसे इस निमित्त यूनिट ट्रस्ट के लिये तथा उसकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु विनियम 42 के अधीन या ट्रस्ट द्वारा अधिकार दिये गये हैं।

44. यूनिट ट्रस्ट की सामान्य मुद्रा—(1) उप विनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन यूनिट ट्रस्ट की सामान्य मुद्रा किसी भी लिखत पर केवल बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में तथा कम से कम दो न्यासियों (जिनमें से एक अध्यक्ष या कार्यपालक ट्रस्टी होगा तथा दूसरा कोई अन्य ट्रस्टी, जो अध्यक्ष या कार्यपालक ट्रस्टी नहीं है) की उपस्थिति में लगायी जायेगी उक्त न्यासी अपनी उपस्थिति के प्रमाण-स्वरूप लिखत पर अपने नामों के साथ हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर से अलग होंगे, जो साक्षी के रूप में लिखत पर हस्ताक्षर करेगा।

जब तक कि पूर्वोक्त अनुसार हस्ताक्षरित न हो ऐसी लिखत वैध नहीं होगी।

(2) अभिदाय प्रमाणपत्रों पर यूनिट ट्रस्ट की सामान्य मुद्रा अध्यक्ष या कार्यपालक ट्रस्टी तथा एक अन्य ट्रस्टी (जो अध्यक्ष अथवा कार्यपालक ट्रस्टी नहीं है) की उपस्थिति में लगायी जायेगी। उक्त ट्रस्टी ऐसे प्रमाणपत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करेंगे।

---

1. अन्तःस्थापित, देखें 30-9-1975 को आयोजित बोर्ड बैठक का अनुमोदन।

45. अभिदात्री संस्थाओं तथा यूनिटधारकों को नोटिस की तामील—

(1) अभिदात्री संस्था या यूनिटधारक को यूनिट ट्रस्ट द्वारा नोटिस पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेज कर अथवा शासकीय राजपत्र में विज्ञापन द्वारा दी जा सकेगी।

(2) यदि नोटिस की डाक द्वारा तामील की जाती है तो उसे डाक से भेजने के अगले सात दिन बाद तामील समझा जायेगा तथा ऐसा तामील साबित करने के लिये यह पर्याप्त होगा कि नोटिस उचित रूप से संबोधित की गयी है और डाक में डाली गयी है।

(3) यूनिट ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली किसी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित या कोई अन्य रीति से किया जा सकेगा।

46. यूनिट ट्रस्ट को नोटिस की तामील—यूनिट ट्रस्ट पर नोटिस की तामील अध्यक्ष या कार्यपालक ट्रस्टी या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में सुपुर्दगी या पंजीकृत डाक द्वारा भेज कर की जा सकेगी।

नोट—

*न्यासी बोर्ड द्वारा 1-1-1987 से संशोधित।

@भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम 1985, जो कि 23-4-1986 से लागू हुआ, के प्रावधान के अनुसार न्यासी बोर्ड द्वारा ता. 1-1-1987 से स्थानान्तरित।

@@भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम 1985, जो कि ता. 23-4-1986 से लागू किया गया, के प्रावधान के अनुसार न्यासी बोर्ड द्वारा ता. 1-1-1987 से अन्तःस्थापित।

अनुसूची क

फार्म

(देखें विनियम 20)

अधिनियम की धारा 10 के खंड (ङ) के अधीन ट्रस्टी/ट्रस्टियों के चुनाव के लिए मत पत्र

उम्मीदवार का नाम	मत संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मुझे*_____ने अपनी ओर से इस मत पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया है तथा_____में उचित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार इसे भरा है।

के लिए तथा उनकी ओर से

*_____

पदनाम

वापस भेजा जाए ताकि यूनिट ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में_____को या इससे पहले पहुंच जाए।

---

*अभिदात्री संस्था का नाम

विनियम 39-क
पैरा 1, अनुसूची ख

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)
30 जून को तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

अनुसूची		विभिन्न यूनिट योजनाओं के नाम									
देयताएं		पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
पूंजी	'क'										
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	'ख'										
विकास प्रारक्षित निधि	'ग'										
वर्तमान देयताएं एवं व्यवस्थाएं	'घ'										
जोड़											

आस्तियां	
निवेश	'ङ'
जमा व अन्य निवेश	'च'
अन्य वर्तमान आस्तियां	'छ'
अचल आस्तियां	'ज'
आस्थगित राजस्व व्यय	'झ'
	जोड़
लेखों के लिए टिप्पणी	'ञ'

विनियम 39-क

फार्म 2 अनुसूची ख

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून को समाप्त हुए वर्ष/अवधि का आय-व्यय लेखा

(राशि लाख रुपयों में)

	विभिन्न योजनाओं के नाम									
आय	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
लाभांश तथा ब्याज										
निवेशों की बिक्री और संशोधन से लाभ (हानि) शुद्ध										
आयकर प्रभार										
हामीदारी कमीशन										
बिक्री से प्राप्त राशि में से आय										
यूनिटों के पुन: क्रय के लिए दी गई राशि को घटा कर										
पिछले वर्षों में किए गए निवेश मूल्य जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनमें पुनरांकन के लिए प्रावधान										
अन्य आय										
(क)										
घटाइए : प्रावधान										
1. संदिग्ध समझी गई बकाया और उपचित आय के लिए										
2. निवेश मूल्य में ह्रास के लिए										
'ख'										
जोड़ ('क'- 'ख')										
व्यय										
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान और उपदान*										
न्यासियों की बैठक फीस										
बोर्ड तथा समिति की बैठकों के लिए यात्रा तथा अन्य खर्चे										
कार्यपालक व्यय										
ऋणों पर ब्याज										
प्रचार व्यय										

	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
अभिकर्ताओं की दलाली										
बैंक प्रभार										
लेखा परीक्षकों की फीस										
आस्थगित व्यय बट्टे खाते										
अचल सम्पत्ति पर मूल्य ह्रास										
घटाइए :										
(1) प्रबन्ध व्यय के लिए यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि										
जोड़										
व्यय से आय की अधिकता										
विनियोजन लेखे में अन्तरित										
जोड़										

*अध्यक्ष और कार्यपालक न्यासी के पारिश्रमिक तथा भत्ते सहित

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम 1963 की धारा 24 और 25 के अधीन प्रारम्भिक पूंजी तथा यूनिट पूंजी के जोड़, यूनिट योजना 1964 के अधीन आय तथा व्यय का आवंटन

(राशि लाख रुपयों में)

पिछले वर्ष				चालू वर्ष		
कुल	प्रारम्भिक पूंजी	यूनिट पूंजी		कुल	प्रारम्भिक पूंजी	यूनिट पूंजी
			कुल आय (ऊपर दर्शित)			
			घटाइए : कुल व्यय (ऊपर दर्शित)			
			शुद्ध आय			
*	@				*	@

*प्रारम्भिक पूंजी विनियोजन लेखे में अन्तरित।

@यूनिट पूंजी विनियोजन लेखे में अन्तरित।

विनियम 39 क
फार्म 2 अनुसूची स

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)
30 जून को समाप्त हुए वर्ष/अवधि का आय व्यय विनियोजन लेखा

(राशि लाख रुपयों में)

	विभिन्न यूनिट योजनाओं के नाम									
	प्रारम्भिक पूंजी		यूनिट पूंजी		यूनिट पूंजी		यूनिट पूंजी		यूनिट पूंजी	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
पिछले साल का शेष आगे लाया गया										
आय-व्यय के लेखे से अन्तरित शेष										
कुल										

वर्ष के लिए आय वितरण
पूर्व वर्षों के लिए वितरण
सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरित
तुलन-पत्र में शेष ले जाया गया

कुल

*आय वितरण को दर ।

30 जून के समाप्त हुए वर्ष के तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

(राशि लाख रुपयों में)

	विभिन्न यूनिट योजनाओं के नाम									
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
तालिका 'क'										
प्रारम्भिक पूंजी, प्रत्येक 50,000 रुपये के 1000 प्रमाण पत्र यूनिट पूंजी)*										
कुल										
*यूनिटों की संख्या										
तालिका 'ख'										
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष										
यूनिट प्रीमियम की आरक्षित निधि										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष प्रीमियम के लिए बिक्री से वसूल राशि										
घटाइए :										
यूनिटों के लिए पुनः क्रय के लिए अदा की गई राशि										
जोड़िए : निवेशों की लागत पिछले वर्षों बट्टे खाते में डाली गई पुनः लिखी गई ।										
घटाइए : निवेशों की लागत बट्टे खाते में डाली गई । पुनः लिखी गई वर्ष के दौरान ।										
घटाइए : निजी रूप से प्रस्तुत डिबेन्चरों के मूल्य में गिरावट के लिए व्यवस्था ।										
घटाइए : संदिग्ध ऋण के लिए व्यवस्था										
उप जोड़										
आरक्षित निधियां										
अन्य आरक्षित निधियां										
आंशिक पूंजी से सम्बन्धित										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष प्रारम्भिक पूंजी विनियोजन लेखे में अन्तरण ।										
'क'										
यूनिट पूंजी से सम्बन्धित										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष यूनिट पूंजी विनियोजन लेखे में अन्तरण										

	3
'ख'	
उप जोड़ ('क'+'ख')	
वित्तियोजन लेखा.	
प्रारम्भिक पूंजी	
यूनिट पूंजी	
आकस्मिक आरक्षित निधि	
तालिका (ग कुल	
ऋण :	
रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियां	
ट्रस्टी प्रतिभूति पत्रों द्वारा सुरक्षित	
यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए बान्डों द्वारा सुरक्षित व सरकारी गारन्टी के साथ।	
अन्य ऋण	
कुल	
तालिका 'घ'	
वर्तमान देयताएं तथा व्यवस्थाएं	
वर्तमान देयताएं	
विविध लेनदार	
ऋणों पर ब्याज	
निवेशों की खरीद के लिए संविदें	
बैंक के चालू खाते से लेखा पुस्तकों के अनुसार अध्याहरण	
अदावी वितरित आय।	
(क)	
व्यवस्थाएं	
कर्मचारी कल्याण के लिए व्यवस्था	
उपादान तथा छुट्टी और सेवा निवृत्ति पर किराया रियायतों के लिए व्यवस्था	
(ख)	
निवेशों के लिए मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	
संदिग्ध जमा के लिए व्यवस्था	
संदिग्ध समझी गई वकाया और प्रोद्भूत आय के लिए व्यवस्था	
(ग)	
आय वितरण :	
प्रारम्भिक पूंजी पर	
यूनिट पूंजी पर	
(घ)	
कुल (क+ख+ग+घ)	

तालिका 'ङ'

निवेश

(i) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और अन्य
न्यासी प्रतिभूतियां

(ii) डिबेन्चर तथा बान्ड (पूरे होने वाले संविदों सहित)

(iii) अधिमान शेयर

(iv) ईक्विटी शेयर (पूरे होने वाले संविदों सहित)

(v) अग्रिम जमा राशि

(vi) अन्य

कुल

अनुसूचित बैंकों में

कम्पनी (यों) में

कुल

तालिका 'छ'

अन्य चालू आस्तियां

चालू खातों में बैंक में शेष

हाथ में नकदी

विविध देनदार

निवेशों के विक्रय से सम्बन्धित संविदे भूत

बकाया और प्रोद्भूत आय

अग्रिम राशि, जमा राशि आदि

पूरक वित्त

आवन्टित न किए गए डिबेन्चरों/शेयरों पर अग्रिम भुगतान

परिपक्व जमा राशि

स्टेशनरी भंडार

कुल

विवरण	लागत पर सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
	30 जून को	वृद्धि/समंजन	कटौती/समंजन	कुल	30 जून को	कटौती	वर्ष के लिए	कुल	30 जून को	30 जून को
भूमि										
भवन										
स्वाधिकृत परिसर										
फर्नीचर व फिक्सचर										
कार्यालय उपकरण										
मोटर गाड़ियां										
कुल										
पिछले वर्ष										

	विभिन्न योजनाओं के नाम									
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
तालिका 'ङ'										
आस्थगित अभिकर्ता दलाली										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष										
चालू वर्ष के दौरान प्रावधानित राशि										
घटाइये वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि										
कम										
तालिका 'च'										
लेखे में समंजित										
निम्नलिखित के लिए आकस्मिक देयताएं :										
(क) दूसरे के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गए हैं										
(ख) ठेकों पर आंशिक रुपये, अनावश्यक देयताओं का भुगतान										
(ग) चालू हानिदायी संविदें										
(i) का मूल्य लगाए गए निवेशों का बाजार मूल्य										
(ii) का मूल्य लगाए गए निवेशों का मूल्य										
(iii) लेखा नीतियां, लेखा सम्बन्धित विवरण										
कम										

उप महा प्रबन्धक

UNIT TRUST OF INDIA

New Delhi, the 21st May, 1987

GENERAL REGULATIONS, 1964

No. UT|ND|28636.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 43 of the Unit Trust of India, Act, 1963 (52 of 1963) the Reserve Bank of India hereby makes the following Regulations, namely :

CHAPTER I

INTRODUCTORY

1. Short Title.—These Regulations may be called the Unit Trust of India General Regulations, 1964.

2. Definitions.—In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or the context.—

(a) "the Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(aa) * * * *

(aaa) "eligible trust" means —

(i) a trust created by or in pursuance of the provisions of any law which is for the time being in force in any State, or

(ii) a trust, the properties of which are vested in a treasurer under the Charitable Endowments Act, 1890 (Act 6 of 1890), or

(iii) a religious or charitable trust which is administered or controlled or supervised by or under the provisions of any law, which is for the time being in force relating to religious or charitable trusts, or

(iv) any other trust, being an irrevocable trust, which has been created for the purpose of or in connection with the endowment of any property or properties for the benefit or use of the public or any section thereof, or

(v) a trust created by a Will which is valid and has become effective, or

(vi) any other trust, being an irrevocable trust, which has been created by an instrument in writing.

1(aaaa) * * * * *

(a) "section" means a section of the Act;

(c) "Unit Trust" means the Unit Trust of India;

(d) "trustee' means a trustee of the Unit Trust of India ;

(dd) "Unit Scheme, 1964" means the scheme brought into force with effect from 1st July 1964;

1. Deleted vide approval by the Board of Trustees at its Meeting held on 4th May 1981.

(e) other expressions used and not defined in these Regulations but used in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

3. Acceptance of contributions.—(i) The Board may accept either in full or in part contributions offered under clause (d) of sub-section (2) of section 4, depending on the number of offering scheduled banks, financial institutions and the amounts offered by them.

(ii) The decision of the Board as to whether a particular offer of contribution shall be acceptec in full or in part or not accepted, shall be final.

(iii) A Committee of the Board consisting of the Chairman, and two other, trustees (one of whom shall be the Executive Trustee, if one has been appointed) appointed by the Chairman, shall be constituted for the purpose of accepting the contributions offered The Committee so constituted shall exercise all the powers of the Board in the matter of accepting contributions.

4. Face value of contribution certificate.—Each contribution certificate shall be of the face value of fifty thousand rupees.

5. Register of contributing institutions.—In the register of contributing institutions maintained under Section 5, the Unit Trust shall, in addition to the particulars referred to in that section, enter the following particulars :

(a) the address of the contributing institution;

(b) the clause of sub-section (2) of section 4 under which the contributing institution is qualified to be so registered;

(c) the manner in which the contributing institution became such, and except in the case of contributions in pursuance of sub-section (2) of section 4, the name of the previous holder of the contribution certificate and the name of the transferee to whom the certificate is transferred.

6. Inspection of register.—(i) Subject to the provisions of Regulation 7, the register of contributing institutions shall be open to the inspection of any contributing institution free of charge at the head office of the Unit Trust during business hours subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose, but so that not less than two hours in each working day may be allowed for inspecting.

(ii) If a contributing institution applies for a copy of entry in the register of contributing institutions, it may be furnished on payment thereof at the rate of fifty paise for every hundred words or fraction thereof.

7. Closing of the register.—The Board may, after giving notice by advertisement, close the register of contributing institutions for such periods (not exceeding six weeks in all during any year) as may in its opinion be necessary.

8. Contribution certificate not to be held jointly.—A contribution certificate shall not be held jointly.

9. Issue of contribution certificate.—Every contribution certificate shall be issued under the common seal of the Unit Trust shall bear a serial number and a distinguishing number and shall specify its face value.

10. Renewal of contribution certificate.—(i) If a worn out or defaced contribution certificate is tendered for renewal, the Unit Trust may order the said contribution certificate to be cancelled and have a certificate issued in lieu thereof.

(ii) If a contribution certificate is alleged to have been lost or destroyed, the Board may, upon,

(a) production of such evidence of the loss or destruction of the contribution certificate as it may consider satisfactory;

(b) production of such indemnity with or without security as it may require; and

(c) payment of all expenses incidental to the advertisement and investigation of evidence of loss or destruction and the preparation of the requisite form of indemnity as aforesaid, issue a new certificate in lieu thereof.

(iii) for every new certificate issued under this Regulation, there shall be paid to the Unit Trust a sum of rupees five.

11. Transfer of contribution certificate.—(i) Subject to the provisions of the Act and these Regulations, every transfer of a contribution certificate shall be in writing in the following form :

We————of———— in consideration of the sum of Rs.———— (in words) paid to us by————of———— (hereinafter called "the transferee") do hereby transfer to the transferee the contribution certificate/certificates numbered————in the Unit Trust of India to hold unto the transferee, and their successors and assigns, subject to the conditions laid down by or under the Act on which we hold the same at the time of execution hereof, and we, the transferee do hereby agree to take the said contribution certificate/certificates subject to the conditions laid down by or under the Act and we, the transferee request that we be registered in respect of the said contribution certificate/certificates its, the register of the Unit Trust.

In witness our hands————day of————

Transferee { Name ———— / Address————

Witness { Name ———— / Address———— / Occupation ————

Transferee { Name ———— / Address————

Witness { Name ———— / Address———— / Occupation ————

(ii) The instrument of transfer of contribution certificate shall be executed by the transferor and transferee or by persons duly authorised to do so on their behalf and shall be submitted to the Board and the transferor shall be demed to remain the holder of such contribution certicficate until the name of the transferee is entered in the register.

12. Recognition of instrument of transfer.—(i) An application for registration of an instrument of transfer shall be acompanied by a fee of rupees two, which sum shall not in any event be refunded, and by the contribution certificate|s to which it relates.

(ii) Upon receipt by the Board of an instrument of transfer, with a request to register the transferee as a contributing institution, the Board shall make such enquiry as it may consider necessary to satisfy itself regarding the qualifications of the transferee to be registered as a contributing institution.

13. Unit Trust's lien on amounts contributed.—The Unit Trust shall have a first lien on all amounts contributed by a contributing institution and registered in the name of such contributing institution for debts and other liabilities of the said contributing institution solely or jointly with another person, whether the period for the payment or discharge thereof hall have actually arrived or not.

14. Contributing institution ceasing to be qualified for registration.—(i) It shall be the duty of a regisered contributing institution, forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered to give intimation thereof to the Board.

(ii) The Board may, at any time, cause such enquiry to be made as itmay consider necessary for ascertaining whether any institution registered as a contributing institution has ceased to be so qualified and upon being satisfied that any such contributing institution has ceased to be so qualified it shall inform the contributing institution which shall thereafter not be entitled to exercise any of the rights of registered contributing institution otherwise than for the purpose of the transfer of the contribution certificate|s held by it and the Board shall make an entry in the Register of contributing institutions to that effect.

(iii) If the Board finds that any institution not qualified to contribute to the capital of the Unit Trust is registered by inadvertence or otherwise as a contributing institution, it shall inform such institution that it is not entitled to exercise the rights of a contributing institution otherwise than for the purpose of the transfer of the contribut on certificate|s held by it and shall make an entry in the register of contributing institutions to that effect.

(iv) The decision of the Board as to whether an institution is qualified to be a contributing institution or not shall be coclusive.

CHAPTER III

ELECTION OF TRUSTEES

15. Mode of election of trustees.—The two trustees to be elected by the contributing institutions referred to an clause (d) of sub-section (2) of section 4 shall be elected in the following manner.

16. List of contributing Institutions.—(i) For the purpose of election of the trustees mentioned in clause (e) of section 10, a separate list shall be prepared of the contributing institutions referred to n clause (d) of sub-section (2) of section 4.

(ii) Each such list shall contain the names of the contributing institutions, their registered addresses the number and distinguishing numbers of contribution certificates held by them, the dates on which the contribution certificates are registered and the number of votes to which each of them is entitled, which shall be equal to the number of contribution certificates held by it and copies of such lists shall be available at the time of the issue of the notice under Regulation 17, on application at the Head Office of the Unit Trust.

17. Notice calling for nomination.—The Chairman shall cause a notice to be sent to every contributing institution referred to in clause (d) of sub-section (2) of section 4 calling on it to send, so as to reach him before the expiry of twenty one days, from the date of notice, nomination papers relating to candidates, if any, whom such institution nominates for election as trustee.

18. Nomination of candidates for Trusteeship.—(i) No candidate for election as a trustee on the Board shall be validly nominated unless :—

(a) he is, on the last day for receipt of nominations, not disqualified, under Section 12, to be a trustee;

(b) he is nominated by a contributing institution referred to in clause (d) of sub-sec- (2) of section 4;

(c) the notimation is either in writing signed by a duly constituted attorney of the nominating institution, or is made by a resolution of the directors of the said institution, and in the later case, a copy of the resolution certified to be a true copy by a duly authorised official of such institution is despatched to the Head Office of the Unit Trust (such copy being deemed to be a nomination); and

(d) the nomination papers contain a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Justice of Peace, the Registrar or Sub-Registrar of Assurances [or a Deputy General Manager or a Manager of the Development Bank] or a Manager of an office of the Reserve Bank or an agent of a branch of the State Bank of India or a Government Gazetted Officer, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not, under section 12, disqualified for election.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received in the Head Office of the Unit Trust before the expiry of the period of twenty-one days referred to in the notice under Regulation 17.

(iii) A nomination may not be withdrawn except by the contributing institution, which made it; and

no withdrawal shall be effective unless written notice by the contributing institution withdrawing the nomination has been received in the Head Office of the Unit Trust before the expiry of seven days from the last date fixed for the receipt of nomination papers.

19. Publication of lists of candidates for election as trustees.—The Chairman shall scrutinise the nomination papers before the expiry of ten days from the last date fixed for receipt of nomination papers. He shall, after such enquiry, if any, as he thinks necessary, satisfy himself in regard to the provisions of Regulation 18 and shall accept or reject the nomination of such candidate and, in the case of rejection, briefly record his reasons therefor. The decision of the Chairman that the nomination is valid or invalid shall, subject to the result of any reference under Regulation 26, be final.

(2) If the number of valid nominations does not exceed the number of vacancies, the candidate or candidates nominated shall be deemed to have been elected and his or their names and addresses shall be published in the Official Gazette as so elected. Such candidate or candidates shall be deemed to have been elected on the date of such publication.

(3) If the number of valid nominations exceeds the number of vacancies, the Chairman shall cause to be published in the Official Gazette and in at least three newspapers circulating in India, the names and addresses of the candidates validly nominated and thereupon Regulations 20 to 25 shall apply.

20. List of nominations and ballot papers to be sent to contributing institutions.—The Chairman shall cause to be sent by registeded post acknowledgement due or by personal delivery against acknowledgement to every contributing institution included in the list referred to in Regulation 16, a ballot paper in the form in Schedule. A hereto showing thereon the names of the candidates duly nominated.

21. Every contributing institution shall place against the name of each candidate the number of votes, if any, for him and shall have the ballot paper signed by one of its duly authorised officials in the manner indicated on the ballot paper, such signature being attested by a Notary Public, Magistrate or Justice of the Peace, Registrar or Sub-registrar of Assurances [1][or a Deputy General Manager or a Manager of the Development Bank] or a Manager of an office of the Reserve Bank or an agent of an office of the State Bank of India or a Government (1) Inserted vide Board's approval at its meeting Gazetted Officer under his official seal. A contributing institution may exercise in respect of each candidate the total number of votes it is entitled to; it may give him all the votes or any or no part thereof. Votes exercisable in respect of one candidate shall not be exercisable in respect of another.

22. Mode of returning ballot paper.—The ballot paper shall be returned by registered post acknowledgement due or by personal delivery against acknowledgement, to the Head Office of the Unit Trust so as to reach it not later than the date specified on the paper. Any ballot paper received after the said date shall be rejected.

23. Mode of counting votes.—(1) After the last date for return of the ballot papers the Chairman shall examine the ballot papers in the presence of three other trustees. He shall add up the number of votes cast in favour of each candidate and shall declare as elected the two candidates securing the two highest number of votes, or where only one trustee is being elected the candidate securing he highest number of votes.

(2) The name of names of the candidate or candidates declared as elected shall be published in the Gazette of India and such candidates shall be deemed to have been elected on the date of such publication.

24. Disposal of ballot paper.—The ballot papers shall, after scrutiny of the Chairman and the trustees, be sealed up in a cover and held in the custody of the Chairman. He shall cause them to be destroyed after ten days from the date of declaration of the election or, if by then an intimation has been received under Regulation 26, after the doubt or dispute has been settled.

25. Exercise of powers of Chairman.—The powers under the preceding Regulations of this Chapter may be exercised also by their the Executive Trustee or such other trustee as the Chairman may authorise in that behalf.

26. Election disputes.—(i) If any doubt or dispute shall arise as to qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected or otherwise as to the validity of the election of a trustee, any person interested, being a candidate or a contributing institution entitled to vote at such election, may, within seven days of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman of the Board and shall, in the said intimation, give particulars of the grounds on which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of intimation under sub-regulation (i), the Chairman shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a Committee consisting of himself and any two of the trustees from among the trustee nominated under clauses (b), (c) and (d) of section 10.

(iii) The Committee so appointed shall make such enquiry as it may deem necessary and if it finds that the election was not a valid election, shall set aside such election.

(iv) The decision of the Committee in pursuance of this regulation shall be binding and conclusive.

27. Meetings of the Board.—(i) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman of the Board or in the event of his being unable to act in this behalf, by the Executive Trustee, and failing him, by any trustee authorised by the Chairman in this behalf and shall be ordinarily held at the Head Office of the Unit Trust, but, if so directed by the Board, may be held at any other place in India.

[1]Inserted vide Board's approval at its meeting on 3-2-1977.

(ii) Any three trustees may for the purpose of the consideration of the business to be specified in their requisition, require the Chairman to convene a meeting of the Board and the Chairman shall, on receipt of such requisition, convene a meeting of the Board giving sufficient notice, provided that the date of the meeting so convened shall not be later than twenty-one days from the date of the receipt of the requisition.

(iii) Ordinarily not less than one clear fortnight's notice shall be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every trustee to his registered address. Should it be found necessary to convene an emegency meeting, sufficient notice shall be given to every trustee who is at that time in India, to enable him to attend.

(iv) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the trustees present, unless one clear week's notice has been given of the same in writing to the Chairman.

(v) Four trustees of whom one shall be the Chairman or the Executive Trustee or the trustee authoised under sub-regulation (i) shall from the quorum.

(vi) A copy of the proceedings of each meeting of the Board shall be circulated for the information of the trustees as soon as possible after the meeting and the minutes of each meeting shall be signed by the Chairman of that or the next succeeding meeting.

28. Meetings of the Executive Committee.—(i) The Executive Committee shall meet at the Head Office of the Unit Trust or at such other place as the Chairman may specify. Sufficient notice shall be given to the members of the Committee to enable them to attend the meeting.

(ii) Two members of the Committee shall form the quorum.

(iii) The provisions of the Act and, save as otherwise provided in the Regulations, of these Regulations, shall apply to the meetings of the Executive Committee as if they were meetings of the Board.

(iv) A copy of the proceedings of each meeting of the Committee shall be circulated for the information of the members as soon as possible after the meeting and the minutes of each meeting shall be signed by the Chairman of that or the next succeeding meeting and shall be placed before the Board as early as possible.

29. Composition of other Committees.—(i) The quorum for a meeting of a Committee of the Unit Trust, other than the Executive Committee, shall be one-third of its strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two members, whichever is higher.

(ii) Every member of a Committee shall, unless he has already made a declaration under Section 34, be required before entering upon his duties, to sign a declaration of fidelity and secrecy on the lines of the form set out in the First Schedule to the Act.

30. Remuneration of trustees and members of Committee.—(i) Subject to the provisions of Section 16 of the Act,

(a) a trustee shall receive a fee of Rs. 250|- for each Board Meeting which he attends; and

(b) a member of a Committee shall receive a sum of Rs. 250|- for each Committee Meeting which he attends.

(ii) Every trustee and every member of a Committee shall be reimbursed his own actual travelling expenses, if any, and shall be paid halting allowance of Rs. 250|- every day ("day" means a period of twenty-four hours or part thereof) reckoned from the time of departure of the trustee or member from his headquarters or if the journey is made from another station, from such station.

Provided that if the Trust arranges accommodation at a hotel for the day or days of the meeting, the trustee or the member of a Committee shall for that period draw halting allowance of Rs. 150|- every day to cover his incidental expenses.

(iii) A trustee or member of a Committee who is an Officer of the Central Government, Development Bank or the Reserve Bank shall be paid travelling and halting allowances in accordance with his service rules.

31. Resolution without meeting valid.—A resolution in writing, signed by a majority of the trustees on the Board or where the matter concerns the Executive Committee or any other Committee constituted by the Board, by the majority of the members of such Committee, shall be deemed to be resolution passed by the Board, the Executive Committee of other Committee, as the case may be, and shall be deemed to have been passed on the date on which the last signatory affixes his signature to it :

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board, Executive or other Committee, as the case may be :

Provided further that if any dissenting trustee or member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, Executive or other Committee as the case may be, the resolution shall not be given effect to unless the resolution is passed at such meeting.

CHAPTER IV

EXERCISE OF VOTING RIGHTS ON BEHALF OF THE UNIT TRUST

32. Exercise of voting rights on behalf of the Unit Trust.—(i) Voting rights attached to the securities held by the Unit Trust and exercisable by the Unit Trust shall be exercised on behalf of the Unit Trust in accordance with such directions as may be given by the Unit Trust.

[1] Inserted vide Board's approval at its meeting on 3-2-1977.

(ii) In giving such directions, the Unit Trust, shall act in such manner as may appear to it to be in the best interests of the unitholders.

33. Voting rights may not be exercised.—Notwithstanding anything contained in the preceding regulation, the Board or Executive Committee, as the case may be, may direct that the whole or any part of the voting rights shall not be exercised.

34. Voting rights may be exercised by authorised person.—Subject to the regulations of the institution concerned, voting rights on behalf of the Unit Trust may be exercised by a person authorised by a resolution of the Board or of the Executive Committee.

35. Meaning of the term "voting rights".—The term "voting rights" used in his Chapter shall include not only a right to vote at a meeting or otherwise, but also a right to give consent or approval to any scheme of arrangement, or to any resolution or to any alternation in, or abandonment of any rights attached to the securities held by the Unit Trust, and also the right to requisition a meeting or to give notice of any resolution or to circulate any statement, as well as any other right that may be attached to the securities or may be exercised by any person holding them.

CHAPTER IV-A

NOTICES OF TRUST

35A. (1) No notice of any trust other than an eligible trust shall be receiveable by the Unit Trust.

(2) The Unit Trust may receive a notice of the interest of an eligible trust in units or permit any person, being a company or a corporation carrying on the business of banking in India or a subsidiary of any such company or corporation or an individual, in each case authorised to act on behalf of the said eligible trust to apply for, deal in and dispose of units on behalf of the said eligible trust, subject to the conditions hereinafter special, namely,

(a) the application on behalf of the eligible trust shall be the basis for the issue of units to the eligible trust and the Unit Trust shall not be required to ascertain whether the investment in units is competent or is in the interest of that trust ;

(b) every application by an eligible trust for investment in units shall be for units of a face value of not less than Rs. 10,000/-

(3) At any time before or after the issue of units to an eligible trust, the Unit Trust shall be entitled to call for the production of such documents as may, in its opinion, be necessary or relevant for enabling the Unit Trust to deal with any application made by the eligible trust for the sale, repurchase or transfer of the units, as the case may be.

(4) Unit certificates for units for which an application has been made by an eligible trust shall be issued in the name of that eligible trust.

(5) Where any sum of money is payable by the Unit Trust to an eligible trust by way of income distribution in respect of units or the repurchase price of units or otherwise, such sum shall be paid by an instrument drawn in favour of the eligible trust and crossed and marked "Account payee only".

CHAPTER IV-B

NOMINATION BY UNIT HOLDERS

*35AB. (1) A nomination made by a sole unit holder or two unitholders jointly shall be recognised by the Trust in the circumstance and to he extent specified in this Chapter.

(2) A sole unitholder or two unitholders jointly or a sole surviving holder of units or two surviving holders of units not being person(s)—

(i) holding the units as holder of an office ; or

(ii) acting for a trust ; or

(iii) acting in any other capacity for any other person with a beneficial interest in units,

may nominate one or more persons not exceeding four including a minor, who shall in the event of his or their death be entitled to the amounts payable by the Trust in respect of the units.

Provided that where the nominee is a minor, the unitholder(s) shall at the time of making the nomination also appoint any person to receive the amounts due in respect of the units in the event of the death of the unitholder(s) during the minority of the nominee.

Explanation :

Nomination can be made also in favour of the Central or State Government, a local authority, any person designated by virtue of his office or a religious or charitable Trust.

(3) A nomination made under sub-regulation (2) may subseqeuently be substituted or cancelled.

(4) For a nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination to be valid, it shall—

(a) cover all the units comprised in a certificate, and

(b) be made to the Trust in such form as may be approved by the Trust alongwith the the relevant certificate.

(5) A valid nomination, substitution of nomination or cancellation of nomination shall be deemed to be effective on the date on which it was received by the Trust. On registration in the books of the Trust, a suitable endorsement shall be made by the Trust on the unit certificate.

Provided that a nomination or substitution of nomination or cancellation of nomination made before a unit certificate is issued by the Trust, shall be deemed to be effective on the date on which it was received by the Trust and the unit certificate when issued by the trust shall accordingly the endorsed.

(6) The nomination made under sub-regulation (2) shall not be affected by the issue of a new certificate in lieu of the existing one or transfer of the certificate from one office of the Trust to the other.

(7) (i) A nomination shall be deemed to have been cancelled and shall cease to be in force from the

date of the death of the sole nominee during the life time of the unitholder.

(ii) Where the nomination is in favour of more than one person, the nominee first named shall alone have the right to receive the amount due in respect of the units in the event of the death of the unitholder(s).

(iii) Where the nominee first named has predeceased the unitholder and the unitholder has not cancelled the nomination or substituted the nomination, the nominee second named shall be entitled to receive the amount due in respect of the units of the deceased unitholder, and so on in respect of the other successive nominees.

(8) On the transfer by the unitholder or the repurchase by the Trust, of the whole or any portion of the units covered by a unit certificate, the nomination shall, in so far as it relates to that unit certificate, be deemed to have been cancelled and shall cease to be in force, from the date of such transfer or repurchase.

(9) Where, at the time of the death of a unitholder who has made a nomination, there has been left with the Trust for registration a duly stamped instrument of transfer relating to the whole or any portion of the units covered by the unit certificate to which the nomination relates, the nominee shall not be entitled to any right under any subsisting nomination, unless the transferee advises the Trust in writing that he does not desire the units to be transfered to his name.

*35AC. Where on the death of a unitholder there is a valid and subsisting nomination, the nominee shall, on such death and at his option, be entitled to—

(a) the issue of a unit certificate in his name comprising all the units to which the nomination relates or;

(b) the purchase price of all such units, computed on the basis of the repurchase price of the units in question as on the date of the repurchase.

Provided that where the nominee is a person who cannot be registered as a unitholder under the relevant Unit Scheme, or where the nominee is a minor, the nominee or the person appointed by the unitholder to receive the amount in respect of units, as the case may be, shall, in the event of death of the unitholder, be entitled only to receive the repurchase price of units computed on the basis of the repurchase price as on the date of the repurchase.

*35AD. Except as otherwise provided in the Act or in these Regulations, payment of the amount due to the nominee by the Trust in respect of the units to which the nomination relates or issue of new units in lieu of such payment, shall be a valid discharge to the Trust of its liability on account of the first named units.

*35ADD. (1) The provisions contained in Regulations 35AB to 35AD shall, so far as may be apply to units allotted under the Reinvestment Plan, 1966, for which no unit certificate has been issued. For the purpose of this regulation, all references to "unit certificates" in Regulation 35AB to 35AD shall, unless repugnant to the context, be taken as references to "Reinvestment Account". The nomination made in respect of the units under a certificate shall apply and extend to all the units allotted under the Reinvestment Plan, 1966 standing to the credit of the unitholder's Reinvestment Account from time to time.

(2) In the event of death of the unitholder, the nominee shall be entitled to—

(a) the issue of a new unit certificate in his or her name in respect of all the units held by the deceased unitholder; or

(b) the repurchase value of such units computed on the basis of repurchase price of the units as on the date of the repurchase.

CHAPTER IV-C

NOMINATION BY AGENTS

35AE. (1) A person appointed by the Unit Trust as an agent for soliciting or procuring any business including the sale of units (hereinafter referred to as "agent") may nominate one individual not being a minor, or one social or charitable institution, who or which shall, in the event of the death of the agent, be entitled to receive any commission or other remuneration payable to the agent.

(2) Every nomination, whether in substitution of a nomination already made or not, shall be in such form as may be approved by the Unit Trust and shall relate to the whole of the commission or other remuneration payable to the agent.

(3) A nomination made under this Regulation may be cancelled at any time. The cancellation shall be in such form as may be approved by the Unit Trust.

(4) Every nomination or cancellation shall relate to the whole of the commission or remuneration payable to the agent.

(5) * * * * *

(6) As soon as possible after a nomination or cancellation has been made, the agent shall send to the office of the Unit Trust the completed form of nomination or cancellation and thereupon the Unit Trust shall register the nomination or the cancellation in its books and advise the agent accordingly.

(7) No nomination or cancellation of nomination shall be effiective unless it has been registered as provided here in the books of the Unit Trust before the death of the agent.

(8) Where, during the life-time of the agent, a nominee, being an individual, dies, or being a social or charitable institution, is dissolved, the nomination shall be deemed to have been cancelled and shall cease to be in force as from the date of the death or dissolution, as the case may be.

(9) Where on the death of an agent there is a valid and subsisting nomination, the nominee shall, on such death, be entitled to be paid the entrie

amount of commission or other remuneration payable to the agent and any such payment shall be a valid discharge to the Unit Trust of its liability in respect of the said commission or other remuneration.

CHAPTER V

GENERAL

@36. (1) (a) Investments by the Trust from the funds mobilised under any of its Schemes in securities of any corporation shall not, unless otherwise provided for in the relative scheme, exceed five per cent of the total amount of the said funds or fifteen per cent of the securities issued by such corporation and outstanding, whichever is lower.

(b) Restrictions of investment in shares etc. of companies.—The aggregate of investments by the Trust in the capital initially issued by new corporations shall not exceed five per cent of the total amount of the said funds.

(1A) The limits prescribed under sub-regulation (1) shall not apply to the following investments, namely :—

(i) investments in debentures issued by a corporation and secured by a first or second charge on any immoveable or moveable property of such corporation, provided the book value of such immoveable or moveable property as shown in the last audited balance sheet or as certified by the auditors of the Corporation is at least one and a half times the aggregate face value of the debentures or such lower value as may be approved by the Board or the Executive Committee, and the corporation has declared for the financial year immediately preceding the financial year in which the investment in the debentures is made by the Trust, dividend at the rate which is not less than six per cent of the paid up share capital of the corporation.

(ii) investments in debentures secured by a Bank Guarantee, Government Guarantee or such other Guarantee as may be determined by the Board of the Executive Committee.

Provided that the Trust may at any time invest in right shares offered to it under Clause (a) of Sub-section (1) of Section 81 of the Companies Act 1956 regardless of the aforesaid limits.

Explanation : For the purpose of this regulation the following expressions shall have the following meanings.

(a) "Corporation" shall have the same meaning assigned to it under Section 2(7) of the Companies Act 1956.

(b) "Book Value" means, in cases where no adjustment for depreciation has been made, the value as shown in the books less the amount of full depreciation calculated in accordance with sub-section (2) of Section 205 of the Companies Act, 1956.

@36A. Investments by the Trust from the funds of any Scheme shall not exceed such limits and shall be subject to such terms and conditions as may, with the previous approval of the Development Bank, be specified in this behalf in that Scheme.

@37. Institutions with which moneys may be kept in deposit.—(1) The Trust may grant loans and advances (including bridge loans) to, or make advance deposits with, any corporation or a co-operative society registered under the law relating to cooperative societies, primarily engaged in any industrial activity or for such other purpose and on such security as the Board or Executive Committee may decide.

"Provided however that the total amount of loan and advances granted to, or advance deposits made with, any Corporation or a Co-operative Society shall not, without the prior approval of the Development Bank, exceed at any time twenty per cent of the funds of any scheme of the Trust."

(2) Moneys of the Trust may be kept on deposit with scheduled banks or with the following institutions namely :—

(i) Reserve Bank ;

(ii) a company as defined in Section 3 of the Companies Act 1956 and having paid up capital and free reserves of not less than one crore of rupees provided however that the said limit shall not be applicable if the company furnishes an unconditional guarantee from a scheduled bank guaranteeing repayment of principal amount to the deposit and payment of interest thereon ;

Provided however that the total amount of the deposits with a company shall not at any time exceed twenty per cent of the funds of any Scheme of the Trust ;

(iii) a corporation established by any law for the time being in force.

(3) The Trust may invest in any special paper or security floated by the Central Government or the Reserve Bank or by any such foreign Government or foreign bank on such terms and conditions as the Board may determine from time to time.

Provided however, the returns on such investment are either on par with or comparable to the returns earned by the Trust out of its investments in similar securities at the relevant time.

@@37A. The application to be made by the Trust to the Court for enforcement of claims in terms of Section 19B of the Act shall include the following particulars, namely :—

(a) the name and address of the company or corporation.

(b) the nature and amount of the financial assistance provided.

(c) rate of interest charged.

(d) nature and extent of security offered by the company or corporation and the date(s) of creation of security.

(e) particulars of property subject to mortgage or charge.

(f) terms of repayment or redemption period.

(g) total amount of the claim.

(h) grounds on which the application is made.

(i) place where cause of action arose.

(j) reliefs sought.

(k) name and designation of the officer of the Trust authorised to make the application.

38. Accounts.—The Board shall cause accounts to be kept of the assets and liabilities and receipt and expenditure of the Unit Trust.

39. Annual Statement of accounts.—The books and accounts of the Unit Trust shall be balanced and closed as on the 30th day of June each year :

Provided that the balancing and closing of the books and accounts for the first time shall be as on the 30th June, 1965.

39A. "The annual accounts of the Unit Trust shall be prepared and set out in the following manner :

(i) A balance sheet as at the end of each year in Form 'T' in the Schedule 'B' to these Regulation[4] (for as near thereto as circumstances admit.)[1]

(ii) A Revenue Account for the year set out in Form '2' in the Schedule 'B' to these Regulations[1] (or as near thereto as circumstances admit.).

40. (1) Distribution of Income among the contributing Institutions.—(1) The income distributable among the contributing institutions shall be paid as soon as may be after the closing of the annual accounts.

(2) No interest shall be payable by the Unit Trust on such income distributable among the contributing institutions.

(3) The income distributable among the contributing institutions shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trust's bankers at the place where its Head Office is situated, shall be made payable to order of the contributing institution and shall be sent to the Registered Office of the contributing institution.

41. Manner and form in which contracts binding on the Unit Trust may be executed.—(1) Contracts on behalf of the Unit Trust may be made as follows :

(i) any contract which, if made between private persons would be by law required to be in writing, signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the Unit Trust in writing signed by any person acting under its authority, express or implied and may in the same manner be varied or discharged.

(ii) Any contract which, if made between private persons, would be law be valid although made by parol only and not reduced in writing, may be made by parol on behalf of the Unit Trust by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(2) All contracts made according to the provisions of this Regulation shall be effectual in law and shall bind the Unit Trust and all other parties thereto and their legal representatives.

42. Accounts receipts and documents of the Unit Trust by whom to be signed.—The Chairman, the Executive Trustee, if one is appointed, and such officers of the Unit Trust as the Board may authorise in this behalf by notification in the Official Gazette shall have power for and on behalf of the Unit Trust to endorse and transfer promissory notes, stock-receipts, stock, debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing in the name of or held by the Unit Trust, and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Unit Trust and to sign all other accounts, certificates, receipts and documents connected with such business.

43. Plaints etc by whom to be signed.—Plaints, written statements, affidavits and all other documents connected with legal proceedings may be signed and verified on behalf of the Unit Trust by an officer empowered by or under Regulation 42 to sign documents for and on behalf of the Unit Trust.

44. Common seal of the Unit Trust.—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (2) the common seal of the Unit Trust shall be affixed to any instrument only in pursuance of a resolution of the Board and in the presence of at least two trustees (of whom one shall be the Chairman or the Executive Trustee and the other any other trustee not being the Chairman or the Executive Trustee) who shall sign their names to the instrument in token of their presence, and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as a witness. Unless so signed as aforesaid, such instrument shall be of no validity.

(2) The common seal of the Unit Trust shall be affixed to the contribution certificates in the presence of the Chairman or the Executive Trustee and one other trustee (not being the Chairman or the Executive Trustee) who shall affix their respective signatures to such certificate.

45. Service of notice to contributing institutions and unit holders.—(i) A notice may be given by the Unit Trust to a contributing institution or a unit holder by sending it by post to its or his registered address or by advertisement in the Official Gazette.

[1]Inserted vide Board's approval at its meeting on 30-9-1975.

(ii) A notice if served by post shall be deemed to have been served on the seventh day following that on which it was posted and in proving such service it shall be sufficient to prove that the notice was properly tddressed and posted.

(iii) The signature to any notice to be given by the Unit Trust may be written or printed or be affixed in any other manner.

46. Service of notice to Unit Trust.—A notice may be served on the Unit Trust by delivering it to the Chairman or Executive Trustee or an Officer authorised by the Chairman in this behalf at, or by sending it by registered post to the Head Office of the Unit Trust.

Notes :—

*Amended by the Board of Trustees with effect from 1-1-1987.

@Substituted by the Board of Trustees with effect from 1-1-1987 pursuant to provisions of Unit Trust of India (Amendment) Act, 1985 brought into force on 23-4-1986.

@@Inserted by the Board of Trustees with effect from 1-1-1987 pursuant to provisions of Unit Trust of India (Amendment) Act, 1985 brought into force on 23-4-1986.

SCHEDULE A

Form

(See Regulation 20)

BALLOT PAPER for election of trustee(s) under clause (c) of section 10 of the Act.

Name of the Candidate — No. of votes for

1.
2.
3.
4.

I hereby confirm that I have been duly authorised by the *.....to sign this ballot paper on its behalf and that I have filled it up according to the decision of the proper authority in the.....

For and on behalf of

*.....

Designation

TO BE RETURNED SO AS TO REACH THE HEAD OFFICE OF THE UNIT TRUST ON OR BEFORE.....

*Name of the contributing institution.

Regulation 39 A
Form 1, Schedule B

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

BALANCE SHEET AS ON 30TH JUNE

(Rupees in lakhs)

SCHEDULE		NAME OF THE VARIOUS SCHEME											
		Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
LIABILITIES													
Capital	'A'												
Reserves & Surplus	'B'												
Loan	'C'												
Current Liabilities and Provisions	'D'												
TOTAL													
ASSETS													
Investments (At Cost)	'E'												
Deposits	'F'												
Other Current Assets	'G'												
Fixed Assets	'H'												
Deferred Revenue Expenditure	'I'												
TOTAL													
Notes To Accounts	'J'												

Regulation 39 A
Form 2, Schedule B

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE

(Rupees in lakhs)

	Name of the various Schemes											
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
INCOME												
Dividend and Interest												
Profit less loss on sale and redemption of investments												
Commitment charges Underwriting commission												
Amount recovered on sales less amount paid on repurchase of units on account of income equaliser.												
Provisions made in earlier years no longer required written back.												
'A'												
Less : Provisions for												
1. Outstanding and accrued income considered doubtful.												
2. Depreciation in the value of investments.												
'B'												
Total ('A'—'B')												

	Name of the various Schemes											
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
EXPENDITURE												
Salaries Allowances, contribution to provident fund and gratuity*												
Sitting fees of trustees												
Travelling & other expenses in connection with board and committee meetings												
Office expenses												
Interest on borrowings												
Publicity expenses												
Commission to agents												
Bank charges												
Auditors fees												
Deferred expenses written off												
Depreciation on fixed assets												
Less : Amount recovered on sale of units on account of management expenses												
TOTAL												
Excess of income over expenditure transferred to appropriation account												
TOTAL												

*Includes Chairman's and Executive Trustee's remuneration and allowances of Rs.

Allocation of income and expenditure under the unit scheme 1964 between initial and unit capital under sections 24 and 25 of the Unit Trust of India Act, 1963.

(Rupees in lakhs)

PREVIOUS YEAR				CURRENT YEAR		
Total	Initial Capital	Unit Capital		Total	Initial Capital	Unit Capital
			Total income as above			
			Less : Total expenditure as above			
	*	@	NET INCOME			

*Transferred to initial capital appropriation account

@ Transferred to unit capital appropriation account

Regulation 39 A
Form 2 of Schedule B

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

Revenue appropriation account for the year ended 30th June

(Rupees in lakhs)

	NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES													
	Initial Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital			
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
Balance brought forward from previous year														
Balance transferred from revenue account														
TOTAL														
Income distribution for the year*														
Income distribution for prior year														
Transferred to general reserves														
Balance carried to balance sheet														
TOTAL														

*Rate of income Distribution

Statement Annexed To and Forming Part of the Balance Sheet as at 30th June

(Rupees in lakhs)

	NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES											
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
SCHEDULE 'A'												
Initial Capital 1000 Certificates of Rs. 50,000/- each												
Unit Capital*												
TOTAL												
*NUMBER OF UNITS												
SCHEDULE 'B'												
RESERVES & SURPLUS												
Unit Premium Reserve												
Balance as per last Balance Sheet												
Amount recovered on sales less amount paid on repurchase of units on account of premium												
ADD: Cost of investments written down/off in prior years written back												
LESS : Cost of investments written down/off during the year												
LESS : Provision against fall in the value of privately placed Debentures												
LESS : Provision against doubtful deposits												
SUB-TOTAL												
OTHER RESERVES												
General Reserves												
Relating to Initial Capital												
Balance as per last Balance Sheet												
Transfer from Initial Capital Appropriation Account												
'A'												
Relating to Unit Capital												
Balance as per last Balance Sheet												
Transfer from Unit Capital Appropriation Account												
'B'												
SUB-TOTAL 'A' + 'B'												

(Rupees in lakhs)

	NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES											
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	current Year
Appropriation Account :												
Initial Capital												
Unit Capital												
Contingency Reserves												
TOTAL												
SCHEDULE 'C'												
LOANS :												
From Reserve Bank :												
(i) Secured against trustee securities												
(ii) Secured against Bonds issued by the Unit Trust and guaranteed by the Central Government												
TOTAL												
SCHEDULE 'D'												
Current Liabilities & Provisions												
Current Liabilities												
Sundry Creditors												
Interest on Loans												
Contract for purchase of investments												
Bank Current Account overdrawn as per books												
Unclaimed Distributed Income												
(A)												
Provisions												
Provision for Staff Welfare Fund												
Provision for Gratuity and Leave and Retirement fareconcessions												
'B'												
Provision against deprciation in the value of Investments												
Provision for doubtful deposits.												
Provision for outstanding and accrued income considered doubtful												
(C)												
Proposed Income distribution on :												
Initial capital												
Unit Capital												
'(D)												
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)												

NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES

	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
SCHEDULE 'E'												
INVESTMENTS												
(i) Securities of Central and State Governments and other Trustee Securities												
(ii) Debentures and Bonds (including contracts awaiting completion Rs.)												
(iii) Preference Shares												
(iv) Equity Shares (including contracts awaiting completion Rs.)												
(v) Calls paid in Advance												
(vi) Others												
TOTAL												
SCHEDULE 'F'												
DEPOSITS												
With Scheduled Banks												
With Companies												
TOTAL												
SCHEDULE 'G'												
OTHER CURRENT ASSETS												
Balance with Banks in Current Account												
Cash on Hand												
Sundry Debtors												
Contracts for sales of Investments												
Outstanding and accrued income												
Stock of Stationery												
Advances, Deposits, etc.												
Bridge Finance												
Advance payment on un-allotted shares debenturds												
Matured Deposits												
TOTAL												

SCHEDULE 'H'

(Rupees in lakhs)

Particulars	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As on 30th June	Additions/ Adjust-ments	Deduction Adjust-ments	Total to 30-6-19	As on 30th June	Deductions	For the year	Total to 30-6-19	As on 30th June	As on 30th June
1. Land										
2. Buildng										
3. Ownership Premises										
4. Furniture & Fixtures										
5. Office Equipments										
6. Motor Vechicles										
TOTAL										
Previous Year										

	NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES											
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Preious Year	Current Year	Previous Year	Current Year
SCHEDULE 'I'												
Deferred Commission to Agents												
Balance as per last balance Sheet												
Add : Amount deferred during the year												
Less : Amount written off during the year												
TOTAL												
SCHEDULE 'J'												
NOTE TO ACCOUNTS												
(i) Contingent Liabilities on account of :												
(a) Claims against the Unit Trust not acknowledged as debts.												
(b) Uncalled liability on partly paid shares												
(c) Unexpired underwriting contracts.												
(ii) Aggregate market value of unquoted investments												
(iii) Value of unquoted Investments.												
(iv. Accounting Policies. Explanations of any item of the accounts etc.												
TOTAL												

S.V. MOKASHI, Dy. General Manger

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987